# प्रशासनिक
# प्रगति प्रतिवेदन
# 2007–2008

कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर ।

# अनुक्रमणिका



| क्र. सं. | विवरण | | पृष्ठ संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| क– | कृषि विभाग के मुख्य उद्देश्य, कृषि में प्रक्रियात्मक सुधार एवं विशेष गतिविधियां | | i-v | |
| ख– | माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट 2007–08 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति | | vi-xi | |
| 01. | राजस्थान में कृषि | | 1.8 | |
| 02. | अमूल्य नीर योजना | | 9.11 | |
| 03. | बीज वितरण | | 12.14 | |
| 04. | उर्वरक | | 15.17 | |
| 05. | पौध–संरक्षण | | 18.21 | |
| 06. | जिप्सम उपयोग | | 22.23 | |
| 07. | प्रदर्शन | | 24.26 | |
| 08. | मिनिकिट | | 27.28 | |
| 09. | कृषि यंत्र | | 29.30 | |
| 10. | मैक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर : कार्य योजना | | 31.32 | |
| 11. | गुण नियंत्रण | | 33.35 | |
| 12. | कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र | | 36.38 | |
| 13. | कृषि सूचना कार्यक्रम | | 39.42 | |
| 14. | मिट्टी एवं पानी परीक्षण | | 43.44 | |
| 15. | राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना | | 45.46 | |
| 16. | विशेष अभियान | | 47.50 | |
| 17. | महिला सशक्तिकरण | | 51.52 | |
| 18. | प्रबोधन एवं मूल्यांकन | | 53 | |
| 19. | कम्प्यूटर कार्यक्रम | | 54.55 | |
| 20. | जिलेवार भौगोलिक क्षेत्रफल एवं सकल कृषिमय क्षेत्र | | 56 | |
| 21. | खण्ड/जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र | | 57 | |
| 22. | विभिन्न फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन | | 58 | |
| 23. | कृषि निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्वीकृत पद | | 59 | |
| 24. | कृषि निदेशालय, क्षेत्रीय एवं जिला स्तरीय संरचना | | 60.62 | |

## क. कृषि विभाग के मुख्य उद्देश्य

- कृषि आय, उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, लागत में कमी ।
- कृषि उत्पादन में टिकाऊ वृद्धि ।
- जल, मृदा एवं तकनीक का समुचित उपयोग ।
- किसानों को उपज का बेहतर मूल्य–विपणन श्रृंखलाओं का सृजन ।
- ग्रेडिंग पैकिंग, मूल्य संवर्धन एवं निर्यात सुविधाओं का विकास ।
- आर्थिक समानता ।

## ख. कृषि में प्रक्रियात्मक सुधार एवं विशेष गतिविधियां

- फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर (S.R.R.) बढ़ाने हेतु जिलेवार कार्य योजना तैयार करवाई गई। विभाग द्वारा यह प्रयास किया गया है कि गेहूं फसल की वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर (S.R.R.) को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, जौं फसल की 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत, चना फसल की 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत एवं सरसों फसल की 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 78 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की जाए ।

- पूर्व में संचालित **बीज मिनिकिट वितरण योजना** को परिवर्द्धित कर **मिनिकिट से बीज उत्पादन कार्यक्रम** के रूप में क्रियान्वित किया गया है इसके अन्तर्गत मिनिकिट्स से लाभान्वित कृषकों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीज उत्पादन कार्य का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मिनिकिट से उच्च गुणवत्ता का बीज उत्पादन किया जा सके । इससे लाभान्वित कृषकों

के साथ अन्य पड़ौसी कृषकों को भी आगामी वर्षों में उन्नत/विश्वसनीय किस्म का बीज अधिक मात्रा में स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा ।

- वर्ष 2007–08 से स्नातकोत्तर (कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 5,000 रूपये तथा कृषि विषय में पी.एच.डी. करने वाली छात्राओं को 10,000 रूपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि आरम्भ की गई है । 10+2 (कृषि) में अध्ययनरत छात्राओं को 3,000 रूपये एवं स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को 5,000 रूपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ।

- विभाग द्वारा क्रियान्वित व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं यथा–मिनिकिट, फसल प्रदर्शन, पौध संरक्षण उपकरण, कृषि यंत्र आदि के लिए देय अनुदान की स्वीकृतियां केवल महिलाओं के नाम से ही जारी करने का निर्णय लिया गया है ।

- कृषकों के खेतों की मिट्टी की जांचकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उन्नयन कर आकर्षक, रंगीन एवं कृषक उपयोगी बनाया गया है ।

- कृषि आदानों की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं व्यवस्था की गई ताकि कृषि उत्पादन में कमी नहीं हो । कृषि आदानों की गुणवत्ता बनाए रखे जाने हेतु विशेष अभियान चलाए गए । राज्य स्तर पर यूरिया उर्वरक की

समुचित व्यवस्था हेतु नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाकर उर्वरक की पूर्ण व्यवस्था करवाई गई ।

- ⊙ विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत समान कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं अनुदान प्रक्रिया में एकरूपता लागू की गई।

- ⊙ कोटा खण्ड में कोटा, बारां, झालावाड़ जिलों में सोयाबीन फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए **टारगेट 20$^{+}$** शुरू किया गया ।

- ⊙ राज्य में कृषि, उद्यान एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए खरीफ–2007 एवं रबी 2007–08 में 32.23 लाख बहुरंगीय, आकर्षक एवं सचित्र पुस्तकों का प्रकाशन करवाकर वितरण किया गया ।

- ⊙ कृषि विभाग द्वारा कृषि योजनाओं की क्रियान्विति हेतु 11 जून–2007 से 20 जून–2007 तक **खरीफ अभियान–2007** चलाया गया एवं 1 अक्टूबर–2007 से 18 अक्टूबर–2007 **तक कृषि योजनाएं आपके द्वार अभियान** चलाया गया जिसमें क्रमशः 7.74 लाख एवं 6.88 लाख कृषकों की भागीदारी रही । शिविरों में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार एवं लागत में कमी के उपायों पर चर्चा की गई । विभागीय सुविधाओं/अनुदान की जानकारी दी गई, मौके पर ही इच्छुक कृषकों के आवेदन प्राप्त किए गए, कृषि आदान उपलब्ध करवाए गए एवं कृषि योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया गया। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा सहभागिता सुनिश्चित हुई ।

- ⊙ कृषकों को कृषि एवं उद्यान सम्बन्धी जानकारी देने के लिए राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से विशेष कार्यक्रम **खेती री बातां** प्रतिदिन सांयः 7.45 से 8.15 बजे प्रसारित किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को **'फोन–इन'** कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है।

- ⊙ कृषकों के खेतों पर फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन आयोजित कराए गए हैं। इनमें उन्नत कृषि क्रियाओं की जानकारी फसल की प्रमुख क्रान्तिक अवस्थाओं पर दी जाती है ।

- ⊙ रबी 2007–08 में प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित **फसल बीमा योजना** राज्य के 10 जिलों क्रमशः अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, कोटा एवं उदयपुर में लागू की गई है जिसमें 8 फसलों क्रमशः जौं, गेहूं, चना, सरसों, मैथी, धनिया, ज़ीरा एवं इसबगौल को संसूचित किया गया है । गैर ऋणी कृषकों के लिए राज्य में सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

- ⊙ राज्य में गेहूं एवं दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया गया है। गेहूं एवं चने के अन्तर्गत 15–15 जिले चयनित कर रबी 2007–08 से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया गया है ।

- ⊙ राज्य के 32 जिलों में कृषि प्रोद्यौगिकी प्रबंध अभिकरण (ATMA) के अन्तर्गत कृषि, उद्यान व पशुपालन आधारित कृषि विस्तार कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं। जिले की एग्रो–इकोलोजिकल सिच्युएशन्स के अनुसार सामरिक अनुसंधान एवं विस्तार योजना तैयार कर कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं । मुख्यतः कृषक रूचि समूहों का गठन कर उत्पादन से लेकर विपणन तक की गतिविधियां शामिल करने का प्रावधान है । यह समस्त कार्य जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की देख रेख में किया जाता है ।

ooo

## घ– माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट 2007–2008 में की गई घोषणाओं की क्रियान्विति

| बजट पैरा | बजट घोषणा | अनुपालना |
|---|---|---|
| 101 | कृषि क्षेत्र में EXTENSION का महत्त्व देखते हुए वर्ष के दौरान किसान महोत्सव एवं कृषि योजना आपके द्वार अभियान चलाया गया। EXTENSION को COST EFFECTIVE बनाना हो तो इसके लिए प्रभावी अनुसंधान का SUPPORT होना आवश्यक है । राज्य सरकार कृषि एवं अन्य तकनीकी क्षेत्रों में होने वाले अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक RAJASTHAN INNOVATION FOU-NDATION की स्थापना करेगी । राज्य सरकार इसके CORPUS हेतु 3.00 करोड़ रुपये का योगदान करेगी । यह FOUNDATION इस CORPUS की आय से प्रतिवर्ष अच्छे RESEARCH PROJECTS एवं INNOVATIONS को समर्थन देगा और CASH AWARD आदि देकर प्रोत्साहित करेगा। इस FOUNDATION की विस्तृत योजना माह जुलाई तक जारी की जाएगी । इसी क्रम में कृषि के विषय में चेण्क्ण कर रही छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रति वर्ष छात्रावृत्ति देने की मैं घोषणा करती हूँ । कृषि क्षेत्रों में आधुनिकता नहीं लाने के SOCIAL IMPLICATIONS हैं, SEX RATIO पर भी प्रभाव पड़ता हैं । | राजस्थान इनोवेशन फाउण्डेशन की उपविधि (बाईलाज) संरचना तथा क्रियान्विति प्रक्रिया तैयार करली गई है। नेशनल इनोवेशन फाउण्डेशन से भी समन्वय स्थापित किया गया। राजस्थान इनोवेशन फाउण्डेशन के राजस्थान सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीयन की कार्यवाही प्रगति पर है । पंजीयन उपरान्त वित्त विभाग द्वारा 3.00 करोड़ रूपये का कोरपस फण्ड [CORPUS FUND] जारी किया जाएगा ।<br><br>कृषि विषय में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृति निम्नानुसार स्वीकृत की गई है :–<br><br>पी.एच.डी. (कृषि) — रूपये 10,000/–<br>स्नाकोत्तर (कृषि) — रूपये 5,000/–<br>कृषि स्नातक — रूपये 5,000/–<br>11वीं एवं 12वीं (10+2) — रूपये 3,000/– |

| बजट पैरा | बजट घोषणा | अनुपालना |
|---|---|---|
| 102 | कृषि क्षेत्र में पानी के सदुपयोग के बाद, मृदा की उर्वरकता बनाए रखना, दूसरी बड़ी चुनौती है । वर्ष 2007– 08 में पंचायत समितिवार SOIL FERTILITY MAPPING का कार्य पूर्णकर PACKAGE OF PRACTICES AGRO ECOLOGICAL SITUATION के आधार पर लागू किया जाएगा चूंकि, अब कृषि विभाग के पास राज्य के सभी क्षेत्रों से मृदा परीक्षण के आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं, हम राज्य का एक मृदा उर्वरकता मैप जारी करेंगे, जिसे GIS पर लगाया जाएगा इससे राज्य के किसान, अनुसंधानकर्ता एवं खाद–बीज विक्रेता क्षेत्रवार पोषक तत्वों की आवश्यकता का समुचित आकलन कर सकेंगे और बेहतर तरीके से INTEGRATED NUTRIENTS MANAGEMENT कर सकेंगे। | 237 पंचायत समितियों में से 205 पंचायत समितियों का मृदा उर्वरकता सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। तथा शेष 32 पंचायत समितियों में सर्वेक्षण कार्य मार्च–2008 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।<br><br>जी0आई0एस0 मानचित्रों हेतु वृहद् मात्रा में डाटा ऐन्ट्री एवं विश्लेषण आवश्यक होता है । 12 जिलों के उर्वरता स्तर का डाटा कम्प्यूटरीकृत कर लिया गया है एवं दो जिलों सिरोही, टोंक का मृदा उर्वरता डाटा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जी0आई0एस0 ''विकास दर्पण'' पर लिंक कर लिया गया है । शेष कार्य मार्च–2008 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।<br><br>फसलों की पैकेज ऑफ प्रेक्टिस वर्तमान में 10 एग्रो क्लाईमेटिक जोन के अनुसार है। अब फसलों की पैकेज ऑफ प्रेक्टिस एग्रो ईकोलोजिकल सिच्युवेशन (ए0ई0एस0, ग्रामों का ऐसा समूह/क्लस्टर है जिनकी कृषि जलवायु दशा एवं मृदा स्तर एक समान है। प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे लगभग 4–5 ए0ई0एस0 है) के आधार पर तैयार कर ली गई है। जिलेवार तैयार पुस्तिकाओं में इनका समावेश कर, सघन आई0ई0सी0 गतिविधियों एवं कृषक प्रशिक्षणों द्वारा प्रसारित एवं प्रचारित की जा रही है । |

| बजट पैरा | बजट घोषणा | अनुपालना |
|---|---|---|
| 103 | इस वर्ष मांग के अनुपात में उर्वरक की उपलब्धता कम होने से, कृषकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मेरा अनुभव है कि जब भी प्रदेश में अच्छी वर्षा होती है, यह समस्या हमेशा ही उत्पन्न होती है। मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण हमारा केन्द्र सरकार पर पूरी तरह निर्भर होना है। आगामी वर्षों में इस निर्भरता को कम करने की दृष्टि से, उर्वरकों के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था की जाएगी जिसके लिए क्रय–विक्रय संघ द्वारा एक REVOLVING FUND स्थापित करवाया जाएगा । इसके अतिरिक्त, ORGANIC AGRICULTURE को बढ़ावा देने हेतु क्रय–विक्रय संघ एवं अन्य राजकीय विपणन संगठनों के माध्यम से राज्य में उत्पादित हो रहे ORGANIC PRODUCTS हेतु MARKETING की व्यवस्था भी की जाएगी । | जून–07 एवं अगस्त–07 में कृषि विभाग, राजफेड एवं आई.पी.एल. के मध्य अनुबन्ध निष्पादित कर राज्य में 2.00 लाख मै0टन डी.ए.पी. का अग्रिम भण्डारण किया गया । आवश्यक वित्तीय सहायता वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई । डी.ए.पी. की अग्रिम भण्डारित 2.00 लाख मै0टन मात्रा की आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित की गई । राज्य में कहीं भी डी.ए.पी. उर्वरक की कमी नहीं रही । डी.ए.पी. उर्वरक के अग्रिम भण्डारण हेतु राजफैड को राज्य सरकार द्वारा क्रेडिट लिमिट स्वीकृति करते हुए वित्तीय व्यवस्था की गई । कृषि विभाग द्वारा रेल रैक बिन्दुवार आपूर्ति योजना बनायी गयी। राजफैड द्वारा क्रय–विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समितिवार आपूर्ति आदेश आई.पी.एल. को दिए गए जिसके अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति/ग्राम सेवा सहकारी समिति तक डी.ए.पी. आपूर्ति करवायी गयी तथा इनके द्वारा ही कृषकों में वितरण किया गया । जयपुर के कॉन्फैड द्वारा आर्गेनिक प्रोडक्ट की बिक्री प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ कर दी गई है। संभागीय मुख्यालय स्तर पर जिला सहकारी थोक भण्डारों द्वारा अपने वर्तमान विक्रय केन्द्रों के माध्यम से प्रायोगिक तौर पर आर्गेनिक प्रोडक्ट की बिक्री प्रारम्भ की जा रही है। आर्गेनिक प्रोडक्ट की बिक्री के लिए किसान भवन, जयपुर में दुकान आवण्टन हेतु कान्फैड द्वारा कृषि विपणन बोर्ड को आवेदन किया जा चुका है । राजफैड मुख्यालय से प्रचार–प्रसार के अन्तर्गत आर्गेनिक प्रोडक्ट के विपणन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों के दिनांक 07–08–07 के अंकों में प्रकाशित करवाई जा चुकी है । |

| बजट पैरा | बजट घोषणा | अनुपालना |
|---|---|---|
| 104 | हमने पिछले तीन वर्षों में उच्च गुणवत्ता के बीजों के वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है । वर्ष 2003–04 में 5 लाख 13 हजार क्विण्टल बीज वितरण की तुलना में वर्ष 2006–07 में 8 लाख 58 हजार क्विण्टल बीज वितरित किया गया। वर्ष 2007–08 में 10 लाख क्विण्टल बीज वितरित किया जाना प्रस्तावित है। बीज उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु नये बीज विधायन केन्द्र की स्थापना पर पूंजीगत लागत का 25 प्रतिशत BACK ENDED SUBSIDY के रूप में दिए जाने की एक नई योजना माह जुलाई तक लागू की जाएगी । | वर्ष 2007–08 में खरीफ 2007 में 3.25 लाख क्विण्टल एवं रबी 2007–08 में 8.21 लाख क्विण्टल, कुल 11.46 लाख क्विण्टल उन्नत बीज का वितरण किया जा चुका है । वर्ष 2007–08 में बीज उत्पादन व वितरण के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु योजना का अनुमोदन योजना एवं वित्त विभाग से होने के पश्चात लागू की जा चुकी है। विभाग द्वारा व्यापक प्रचार किया गया। विभाग को अभी तक 2 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं एवं आशा की जा रही है कि मार्च–2008 तक 5 से 7 प्रस्तावों की क्रियान्विति सुनिश्चित कर ली जाएगी । |

| बजट पैरा | बजट घोषणा | अनुपालना |
|---|---|---|
| 148 | राज्य में DRIP एवं SPRINKLER सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में चरणबद्ध तरीके से वांछित आधारभूत विकास जैसे डिग्गियों का निर्माण, भूमिगत पाईप डालने इत्यादि की व्यवस्था करना आवश्यक है । ऐसे आधारभूत विकास और खेतों पर लगने वाले ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के लिए एक अनुदान योजना सिंचाई एवं कृषि विभाग द्वारा तैयार की जाएगी जिसके तहत पहले चरण में बीसलपुर परियोजना से सिंचित क्षेत्र को लिया जाएगा । | जल संसाधन/कृषि विभाग द्वारा योजना तैयार कर योजना का अनुमोदन करा लिया गया है। विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं । बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में कृषक द्वारा निर्धारित क्षमता की डिग्गी निर्माण करने पर अनुदान देय है। डिग्गी की क्षमता 2 लाख लीटर से 10 लाख लीटर निर्धारित की गई है तथा अनुदान 20,000/– रूपये से 60,000/– रूपये तक देय है। डिग्गी के अतिरिक्त डिग्गी निर्माण करने पर प्रति कृषक को पम्प सैट पर अधिकमत 3000/– रूपये के अनुदान का भी प्रावधान है । माईक्रो ईरिगेशन योजना के तहत उद्यान विभाग द्वारा समस्त श्रेणी के कृषकों को फव्वारा व ड्रिप संयत्र की स्थापना पर अधिकतम 5 हैक्टर क्षेत्रफल की सीमा में अनुदान देय है। अनुदान वास्तविक लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत देय है । बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में अब तक 20 कृषकों को डिग्गी निर्माण के लिए प्रेरित किया गया है । बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र मे 15 जनवरी 08 तक 14 कृषकों के खेतों पर 19.85 हैक्टर क्षेत्र में अनुदान सहायता से ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा कृषकों को 2.91 लाख रूपये अनुदान राशि से लाभान्वित किया गया है । बीसलपुर कमाण्ड क्षेत्र में 15 जनवरी–2008 तक 121 कृषकों के खेतों पर 235 हैक्टर क्षेत्र में फव्वारा संयंत्र स्थापित किए गए हैं तथा 12.43 लाख रूपये अनुदान राशि कृषकों को दी गई है। |

# 1. राजस्थान में कृषि

## 1.1 परिचय

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है । राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख हैक्टर है, जिसमें सकल एवं शुद्ध कृषिमय क्षेत्र लगभग क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत है । राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है । राज्य में खरीफ फसल उत्पादन मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करता है । राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, मरूस्थलीय या अर्द्ध मरूस्थलीय है और पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है । राज्य का दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र, जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39 प्रतिशत है, उपजाऊ है ।

इस क्षेत्र की मिट्टी काली या बलुई दोमट है । राज्य को जलवायु के आधार पर निम्न प्रकार से 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा हुआ है :–

| क्र.सं. | जलवायु क्षेत्र | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र {पं} | इस ज़ोन में जिला बाड़मेर एवं जोधपुर जिले का कुछ हिस्सा सम्मिलित है । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 200–370 मिलीमीटर है । |
| 2. | सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र {पइ} | इस ज़ोन में श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले आते हैं । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 100–350 मिलीमीटर है । |
| 3. | शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र {पब} | इस ज़ोन में जिला जैसलमेर, बीकानेर एवं चूरू जिले का भाग आता है । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 100–300 मिलीमीटर है । |
| 4. | अन्तः स्थानीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र {पपं} | इस ज़ोन में जिला नागौर, सीकर, झुण्झुनू एवं चूरू जिले का भाग सम्मिलित है तथा औसत वर्षा 300–500 मिलीमीटर है । |

| क्र.सं. | जलवायु क्षेत्र | विवरण |
|---|---|---|
| 5. | लूनी नदी का अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र {पपइ} | इस ज़ोन में जालौर, पाली एवं सिरोही जिले का भाग सम्मिलित है तथा औसत वर्षा 300–500 मिली–मीटर है । |
| 6. | अर्द्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र {पपपं} | इस ज़ोन में जयपुर, अजमेर, दौसा एवं टोंक जिले आते हैं । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 500–700 मिलीमीटर है । |
| 7. | बाढ़ सम्भाव्य पूर्वी मैदान {पपपइ} | इस ज़ोन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर जिले आते हैं । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 500–700 |

| | | |
|---|---|---|
| | | मिलीमीटर है । |
| 8. | अर्द्ध आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र एवं अरावली पहाड़ी क्षेत्र {पअं} | इस ज़ोन में जिला भीलवाड़ा, राजसमन्द, उदयपुर एवं सिरोही जिले के भाग सम्मिलित हैं । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 500–900 मिलीमीटर है । |
| 9. | आद्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र {पअइ} | इस ज़ोन में जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ एवं उदयपुर जिले के भाग सम्मिलित हैं । क्षेत्र की औसत वर्षा 500–1100 मिली–मीटर है । |
| 10. | आद्र दक्षिणी पूर्वी मैदान क्षेत्र {अ} | इस ज़ोन में कोटा, झालावाड़, बून्दी एवं बारां जिले आते हैं । इस क्षेत्र की औसत वर्षा 650–1000 मिली–मीटर है । |

## 1.2 मौसम

वर्ष 2007–08 में मानसून का आगमन निर्धारित समय से 5–7 दिन विलम्ब से हुआ । दक्षिणी–पश्चिमी मानसून का 25.06.07 को राज्य में प्रवेश हुआ । इस दौर में हल्की एवं कुछ क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई ।

मानसून का पहला दौर 18 जुलाई–2007 को कमज़ोर पड़ गया लेकिन तीन दिन के अन्तराल पर फिर से मानसून का दूसरा दौर शुरू हो गया जोकि 10 अगस्त–2007 तक सक्रिय रहा । इस दौर में राज्य के सभी हिस्सो में अच्छी वर्षा दर्ज की गई । इस प्रकार अगस्त–2007 में औसत से 28 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई । मानसून सितम्बर के प्रथम सप्ताह में फिर सक्रिय हुआ और तीसरे सप्ताह तक सक्रिय रहा । अक्टूबर–2007 में मानसून पूर्णतः चला गया ।

राज्य में 1 जून–2007 से 30 सितम्बर–2007 तक मानसून की वर्षा 493.2 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो इस अवधि की सामान्य वर्षा 547.8 मिलीमीटर वर्षा से 10 प्रतिशत कम रही ।

वर्ष 2002–2003 से 2007–08 तक के वर्षा के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दर्शाये गए हैं :–

| |
|---|
| वर्षा–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––मिलीमीटर में |

| माह | सामान्य औसत वर्षा | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जून | 47.6 | 65.8 | 62.6 | 44.1 | 64.5 | 84.2 | 74.7 |
| जुलाई | 190.2 | 15.0 | 262.7 | 86.9 | 237.2 | 190.4 | 189.8 |
| अगस्त | 193.4 | 95.7 | 161.8 | 303.8 | 64.3 | 290.0 | 145.5 |
| सितम्बर | 100.7 | 41.4 | 77.2 | 32.4 | 165.2 | 82.1 | 83.1 |
| अक्टूबर | 11.0 | 1.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 7.5 | 0.0 |
| नवम्बर | 3.1 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 0.0 |
| दिसम्बर | 3.6 | 6.2 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 1.2 | 1.5 |
| जनवरी | 5.9 | 5.1 | 3.9 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | - |
| फरवरी | 4.3 | 27.1 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 31.7 | - |
| मार्च | 5.6 | 0.5 | 0.0 | 10.3 | 17.4 | 15.6 | - |
| अप्रेल | 2.0 | 0.8 | 2.2 | 10.8 | 0.9 | 6.2 | - |
| मई | 7.7 | 4.1 | 14.0 | 13.7 | 15.9 | 7.2 | - |
| योग : | **575.1** | **267.1** | **588.4** | **512.6** | **569.5** | **718.7** | **-** |

स्त्रोत : सिंचाई एवं मौसम विभाग

**नोट :** राज्य में माह जून, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर में वर्षा का औसत क्रमशः 84.5, 186.2, 303.7 एवं 79.2 मिलीमीटर है ।

## 1.3 भूमि उपयोग

राज्य में भूमि उपयोग का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्षेत्रफल———————————————————————लाख हैक्टर में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्रं.सं. | विवरण | प्रथम योजना | नवीं योजना | 2004 - 2005 | 2005 - 2006 |
| 1. | भौगोलिक क्षेत्रफल {ग्राम पत्रानुसार} | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 2. | जंगल | 14 | 25 | 26 | 27 |
| 3. | कृषि अयोग्य क्षेत्रफल | 76 | 43 | 43 | 43 |
| 4. | जोत रहित भूमि {पड़त भूमि छोड़कर} | 89 | 67 | 63 | 63 |
| 5. | पड़त भूमि | 57 | 45 | 45 | 42 |
| 6. | वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल | 106 | 162 | 165 | 168 |
| 7. | सकल बोया गया क्षेत्रफल | 113 | 206 | 210 | 217 |
| 8. | दुपज क्षेत्रफल | 7 | 44 | 45 | 49 |
| 9. | फसलीय सघनता प्रतिशत | 107 | 127 | 127 | 129 |

उपर्युक्त तालिका को देखने से ज्ञात होता है कि प्रथम योजना से अब तक की अवधि के दौरान राज्य में वास्तविक बोये जाने वाले क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । वास्तविक बोया जाने वाला क्षेत्रफल प्रथम योजना में 106 लाख हैक्टर था, वह वर्ष 2005–06 में 168.00 लाख हैक्टर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया । दुपज क्षेत्रफल भी प्रथम योजना में मात्र 7.00 लाख हैक्टर था, वह भी बढ़कर वर्ष 2005–06 में 49 लाख हैक्टर हो गया । इसी प्रकार फसलीय सघनता भी प्रथम योजना में 107 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 129 प्रतिशत के स्तर पर आ गई ।

## 1.4 सिंचित क्षेत्रफल

राज्य में साधनों के अनुसार सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :–

अ– साधनों के अनुसार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल

| क्षेत्रफल——————————————————————————————लाख हैक्टर में | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| क्र.सं. | साधन | प्रथम योजना | नवीं योजना | 2004-2005 | 2005-2006 |
| 1ए | नहर | 2.47 | 21.99 | 14.57 | 23.52 |
| 2ए | तालाब | 1.32 | 1.04 | 0.82 | 0.83 |
| 3ए | नलकूप } | 8.05 | 10.52 | 16.88 | 22.78 |
| 4ए | कुऐं } | | 32.46 | 25.78 | 30.15 |
| 5ए | अन्य | 0.23 | 0.52 | 0.55 | 0.90 |
| | **योग :–** | **12.07** | **66.53** | **58.80** | **78.18** |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य के सिंचित क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है । यह वृद्धि मुख्य रूप से नहरों एवं कुओं दोनों साधनों से हो रही है । राज्य में वास्तविक सिंचित क्षेत्र जो प्रथम योजना अवधि में मात्र 12.07 लाख हैक्टर ही था वह बढ़कर वर्ष 2005–06 में 78.18 लाख हैक्टर के स्तर पर पहुंच गया ।

ब– फसलों के अनुसार सकल सिंचित क्षेत्रफल

राज्य में सिंचित क्षेत्रों में मुख्यतः गेहूं, जौं, चना, कपास, धान, मक्का, गन्ना, मूंगफली एवं सरसों की फसल ली जाती है । सिंचाई के साधनों के विकास के साथ–साथ विभिन्न फसलों के सिंचित क्षेत्र में भी वृद्धि हो रही है, इनमें सरसों प्रमुख है । राज्य में पिछले 2 वर्षो में प्रमुख फसलों का सिंचित क्षेत्र का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्षेत्रफल——————————————————————————————लाख हैक्टर में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फसल | नवीं योजना | | 2005-06 | | 2006-07 | |
| | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
| धान | 0.92 | 1.38 | 0.43 | 0.55 | 0.38 | 0.48 |
| गेहूं | 24.67 | 37.04 | 21.03 | 26.90 | 25.22 | 31.94 |
| जौ | 1.86 | 2.79 | 1.95 | 2.49 | 2.24 | 2.84 |

| क्षेत्रफल————————————————————————————————लाख हैक्टर में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| फसल | नवीं योजना | | 2005-06 | | 2006-07 | |
| | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत | क्षेत्रफल | प्रतिशत |
| बाजरा | 0.92 | 1.38 | 3.21 | 4.11 | 2.49 | 3.15 |
| मक्का | 0.59 | 0.89 | 0.47 | 0.60 | 0.11 | 0.14 |
| चना | 3.55 | 5.33 | 3.63 | 4.64 | 3.78 | 4.79 |
| मूंगफली | 1.03 | 1.55 | 2.27 | 2.90 | 2.00 | 2.53 |
| राई—सरसों | 15.53 | 23.33 | 29.36 | 37.55 | 26.92 | 34.10 |
| गन्ना | 0.17 | 0.26 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| कपास | 5.65 | 8.48 | 4.47 | 5.72 | 3.30 | 4.18 |
| अन्य | 11.71 | 17.58 | 11.78 | 14.44 | 12.43 | 15.75 |
| **योग :—** | **66.60** | **100.00** | **78.18** | **100.00** | **78.95** | **100.00** |

राज्य में औसत कुल सिंचित क्षेत्रफल जो प्रथम योजना अवधि में 14.39 लाख हैक्टर था, बढ़कर वर्ष 2006—07 में 78.95 लाख हैक्टर के स्तर पर पहुंच गया।

## 1.5 क्षेत्रफल एवं उत्पादन

अ— खरीफ

राज्य में खरीफ की फसलें सामान्यतया 130 से 135 लाख हैक्टर क्षेत्र में बोई जाती हैं । इनमें से 60 से 65 प्रतिशत खाद्यान्न, 10 से 15 प्रतिशत तिलहन, 3 प्रतिशत कपास एवं गन्ना तथा शेष 20 से 25 प्रतिशत क्षेत्र में अन्य फसलें बोई जाती हैं । खरीफ में मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मक्का, मौठ, मूंग, उड़द, चौला, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास एवं ग्वार की खेती की जाती है । नवीं योजना अवधि से वर्ष 2006—07 तक खरीफ फसलों का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :—

| औसत उत्पादन————————————————— लाख मैट्रिक टन / गॉठों में | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| योजना अवधि | अनाज | दलहन | खाद्यान्न | तिलहन | कपास | ग्वार |
| नवीं योजना | 38.34 | 3.94 | 42.28 | 10.50 | 7.62 | 5.18 |
| 2003.04 | 94.42 | 15.11 | 109.53 | 12.54 | 7.09 | 11.63 |
| 2004.05 | 46.88 | 5.00 | 51.88 | 15.68 | 7.65 | 3.66 |
| 2005.06 | 35.89 | 3.56 | 39.45 | 15.45 | 8.80 | 5.93 |
| 2006.07 | 50.79 | 5.49 | 56.28 | 13.60 | 7.47 | 6.58 |

राज्य में खरीफ के अन्तर्गत 90: क्षेत्र में बारानी फसलें बोई जाती हैं जो पूर्णतः वर्षा पर निर्भर हैं । यदि राज्य में मानसून का आगमन समय पर एवं सामान्य होता है तो रिकार्ड पैदावार प्राप्त होती है जो वर्ष 2003–04 के उत्पादन से स्पष्ट है, फिर भी विभागीय प्रयासों, उन्नत किस्म के बीजों, उर्वरकों के उपयोग, पौध संरक्षण उपायों एवं कृषि की नवीन तकनीकी के उपयोग से राज्य में उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है ।

गत वर्ष की तुलना में 2007–08 में विभिन्न खरीफ फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल एवं उत्पादन का विभागीय अनुमान लक्ष्यों की तुलना में निम्न प्रकार है :–

| फसलें | क्षेत्रफल——————लाख हैक्टर | | | उत्पादन———लाख टन / गॉठें | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-2008 | | 2006-07 | 2007-2008 | |
| | वास्तविक | लक्ष्य | विभागीय अनुमान | वास्तविक | लक्ष्य | विभागीय अनुमान |
| अनाज | 66.93 | 62.55 | 58.53 | 50.79 | 57.73 | 50.66 |
| दलहन | 21.48 | 27.25 | 24.18 | 5.49 | 15.17 | 10.45 |
| खाद्यान्न | 88.41 | 89.80 | 82.71 | 56.28 | 72.90 | 61.11 |
| तिलहन | 12.95 | 15.25 | 15.56 | 13.60 | 19.48 | 21.15 |
| गन्ना | 0.11 | 0.05 | 0.09 | 6.30 | 2.95 | 4.57 |
| कपास | 3.50 | 4.00 | 3.68 | 7.47 | 9.50 | 9.93 |
| ग्वार | 28.08 | 23.00 | 21.40 | 6.58 | 11.50 | 9.27 |
| अन्य | 4.38 | 6.90 | 4.56 | - | - | - |
| कुल बोया गया क्षेत्र | 137.43 | 139.00 | 128.00 | - | - | - |

ब– **रबी**

राज्य में रबी फसलों की बुवाई सामान्यतया 70 से 75 लाख हैक्टर क्षेत्र में की जाती है जिसमें लगभग 60–65 लाख हैक्टर क्षेत्र सिंचित है । रबी मौसम में मुख्यतः गेहूं, जौं, चना, राई–सरसों, धनियां, ज़ीरा एवं मैथी की बुवाई की जाती है । नवीं योजना से वर्ष 2006–07 तक रबी फसलों

का उत्पादन निम्न प्रकार रहा है :–

| औसत उत्पादन–––––––––––––––––––––––––––– लाख टन में | | | | |
|---|---|---|---|---|
| योजना अवधि | अनाज | दलहन | खाद्यान्न | तिलहन |
| नवीं योजना | 68.80 | 12.31 | 81.11 | 20.87 |
| 2003-04 | 62.85 | 7.67 | 70.52 | 27.42 |
| 2004-05 | 61.25 | 8.38 | 69.63 | 39.73 |
| 2005-06 | 63.23 | 5.12 | 68.35 | 44.19 |
| 2006-07 | 83.48 | 9.33 | 92.81 | 38.07 |

खरीफ दलहनों की भांति रबी दलहन फसलें भी मुख्य रूप से बारानी क्षेत्रों में बोई जाती हैं । चने का करीब 15–20 प्रतिशत क्षेत्र ही सिंचित है इसलिए चने का अच्छा उत्पादन सर्दी की वर्षा {मावठ} पर निर्भर है ।

रबी तिलहनों में मुख्य रूप से सरसों की खेती प्रमुखता से की जाती है राज्य में सरसों का उत्पादन वर्ष 1980–81 में 2.48 लाख टन था, वर्ष 2006–07 में बढ़कर 38.07 लाख टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। राष्ट्रीय स्तर पर सरसों के उत्पादन में राज्य पिछले कई वर्षो से प्रथम स्थान पर है । वर्ष 2007–08 में विभिन्न रबी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन लक्ष्य के विरूद्ध विभागीय अनुमान निम्न प्रकार हैं :–

| फसलें | क्षेत्रफल–––––लाख हैक्टर | | | उत्पादन––––––लाख टन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2006-07 | 2007-2008 | | 2006-07 | 2007-2008 | |
| | वास्तविक | लक्ष्य | विभागीय अनुमान | वास्तविक | लक्ष्य | विभागीय अनुमान |
| अनाज | 27.97 | 25.00 | 26.09 | 83.48 | 75.00 | 81.65 |
| दलहन | 10.60 | 11.30 | 13.38 | 9.33 | 9.26 | 12.34 |
| खाद्यान्न | 38.57 | 36.30 | 39.47 | 92.81 | 84.26 | 93.98 |
| तिलहन | 32.13 | 24.02 | 24.80 | 38.07 | 32.21 | 34.78 |
| अन्य | 7.97 | 6.68 | 8.38 | - | - | - |
| कुल बोया गया क्षेत्र | 78.67 | 67.00 | 72.65 | - | - | - |
| {फसलवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन सारणी संख्या–3 पर उपलब्ध है ।} | | | | | | |

ooo

# 2. अमूल्य नीर योजना

सिंचाई की दृष्टि से राजस्थान जल की कमी वाला राज्य है । यहां पर राष्ट्रीय जल संसाधनों का मात्र 1ः जल, 11ः भू–भाग एवं 5ः जनसंख्या है । उपलब्ध जल संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन करने पर भी लगभग 32ः कृषि योग्य क्षेत्र में ही सिंचाई के साधन जुटा पाए हैं ।

अनियमित एवं अपर्याप्त वर्षा के कारण निरन्तर अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी क्षेत्र में बनी रहती है तथा सिंचाई हेतु जल सीमित मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या तथा औद्योगीकरण के कारण जल की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है । ऐसी स्थिति में इस बहुमूल्य संसाधन का संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग कर अधिक क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराना तथा प्रति इकाई जल से अधिक लाभ प्राप्त करना नितान्त आवश्यक है । अतः कृषकों का ध्यान इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग की ओर आकर्षित करने के लिए जल सम्बन्धी योजनाओं को समाहित करते हुए वर्ष 2005–06 से **अमूल्य नीर योजना** लागू की गई । जल संसाधन के संरक्षण, बचत एवं कुशलतम उपयोग हेतु राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि विभाग द्वारा निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैंः–

## 2.1 सिंचाई पाईप लाईन कार्यक्रम

उपलब्ध सीमित जल को कच्ची नालियों द्वारा खेत तक ले जाने में जल का 20–25ः तक अपव्यय होता है । इस अपव्यय को कम करने के उद्देश्य से कृषकों को सिंचाई की कच्ची नाली के स्थान पर एच.डी.पी.ई./पी.वी.सी. इत्यादि पाईप लगाने हेतु अनुदान दिया जाता है ताकि जल संरक्षण से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके । कृषकों को अधिकतम 400 मीटर पाईप लाईन तक अनुदान सुविधा उपलब्ध है ।

विभिन्न मॉडल्स के पाईप लाईन पर देय अनुदान निम्न प्रकार से है :–

| क्र. सं. | पाईप लाईन {मीटर} | सामान्य कृषक | | लघु/सीमान्त/अ.जा./अ.ज.जा./ महिला कृषक | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | पाईप {एच.डी.पी.ई.} | पाईप {पी.वी.सी.} | पाईप {एच.डी.पी.ई.} | पाईप {पी.वी.सी.} |
| 1– | 210 मीटर तक | 15 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 3150 रूपये | 13 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 2700 रूपये | 25 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 5250 रूपये | 22 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 4600 रूपये |
| 2– | 210 मीटर से अधिक | 15 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 5000 रूपये | 13 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 4300 रूपये | 25 रू0प्रति मीटर 210 मीटर तक एवं इससे ऊपर 15 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 8000 रूपये | 22 रू0प्रति मीटर 210 मीटर तक एवं इससे ऊपर 13 रू0प्रति मीटर या अधिकतम 7000 रूपये |

## 2.2 डिग्गी फव्वारा कार्यक्रम

जल के समुचित उपयोग के लिए एवं बुवाई क्षेत्र को और अधिक बढ़ाने के उद्‌देश्य से नहरी क्षेत्र में यह योजना काफी लाभदायक है, जिसके द्वारा नहर चालू होने के समय अतिरिक्त पानी डिग्गी में एकत्रित कर नहर बन्द होने के पश्चात इस पानी का उपयोग फव्वारा पद्धति द्वारा खेतों में सिंचाई के लिए किया जाता है । कृषक द्वारा निर्धारित क्षमता की डिग्गी बनाने पर निम्नानुसार अनुदान देय है :–

| क्र. सं. | प्रस्तावित डिग्गी से सिंचित होने वाला क्षेत्र {हैक्टर} | डिग्गी की क्षमता {लाख लीटर} | डिग्गी की इकाई लागत {लाख रूपये} | डिग्गी निर्माण पर देय अधिकतम अनुदान {रूपये} | पम्प सेट पर देय अनुदान {रूपये} | कुल अधिकतम देय अनुदान {रूपये} |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.25 - 2.50 | 04 | 1.20 | 30000 | 3000 | 33000 |
| 2. | 2.50 - 5.00 | 06 | 1.60 | 40000 | 3000 | 43000 |
| 3. | 5.00 - 6.25 | 08 | 2.00 | 50000 | 3000 | 53000 |
| 4. | 6.25 से अधिक | 10 | 2.40 | 60000 | 3000 | 63000 |

यदि कोई कृषक उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड से बड़ी आकार की डिग्गी का निर्माण करता है तो भी उसे उपरोक्त पात्रता अनुसार अनुदान देय है । चार लाख लीटर से कम क्षमता की डिग्गी पर अनुदान देय नहीं होगा ।

2.3 अमूल्य नीर योजना एवं माईक्रो इरिगेशन योजनान्तर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का विवरण निम्नानुसार हैं :–

## □□भौतिक प्रगति □

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | इकाई | 2006-07 | 2007-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्ष्य | अब तक की प्रगति |
| 1– | सिंचाई पाईप लाईन | किलोमीटर | 6186 | 6000 | 3388 |
| 2– | डिग्गी फव्वारा योजना | संख्या | 497 | 400 | 327 |

## □□वित्तीय प्रगति □

| क्र.सं. | कार्यक्रम का नाम | इकाई | 2006-07 | 2007-2008 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | लक्ष्य | अब तक की प्रगति |
| 1– | सिंचाई पाईप लाईन | लाख रूपये | 1237.13 | 1200.00 | 657.00 |
| 2– | डिग्गी फव्वारा योजना | लाख रूपये | 208.79 | 176.50 | 37.77 |

❍❍❍

# 3. बीज वितरण

उन्नत बीज का कृषि उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान है । कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध करवाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप राज्य में इन बीजों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है । बीज वितरण कार्यक्रम की प्रगति निम्न प्रकार है :–

मात्रा : क्विण्टल में

| क्र. सं. | मौसम/फसल | 2005–06 | | 2006–07 | | 2007–08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} |
| | **खरीफ** | | | | | | |
| 1. | बाजरा | 67264 | 33.89 | 67916 | 34.80 | 70245 | 42.09 |
| 2. | ज्वार | 3008 | 5.12 | 4154 | 6.27 | 4536 | 8.22 |
| 3. | मक्का | 34971 | 17.43 | 39097 | 19.02 | 50604 | 25.20 |
| 4. | धान | 1294 | 4.84 | 2056 | 7.61 | 1697 | 6.23 |
| 5. | सोयाबीन | 39362 | 6.61 | 55567 | 10.82 | 74472 | 12.18 |
| 6. | मूंगफली | 5573 | 1.17 | 9645 | 2.12 | 11748 | 2.41 |
| 7. | अरण्डी | 5057 | 31.81 | 2736 | 23.09 | 5340 | 27.81 |
| 8. | तिल | 2287 | 18.06 | 1892 | 23.10 | 2482 | 24.41 |
| 9. | मोठ | 2764 | 1.50 | 2059 | 1.19 | 5207 | 3.36 |
| 10. | मूंग | 12979 | 8.11 | 14298 | 9.44 | 30709 | 14.94 |
| 11. | उड़द | 1631 | 5.87 | 1479 | 6.85 | 3744 | 11.21 |
| 12. | अरहर | 340 | 8.50 | 438 | 11.53 | 718 | 13.30 |
| 13. | चौला | 1716 | 6.81 | 2146 | 9.75 | 3242 | 9.88 |
| 14. | ग्वार | 9142 | 2.49 | 15787 | 3.75 | 23690 | 7.38 |
| 15. | कपास | 34629 | 49.01 | 22704 | 49.14 | 36867 | 66.79 |
| | **योग खरीफ** | **222017** | **9.16** | **241974** | **10.43** | **325301** | **13.63** |

बी0प्र0दर त्र बीज प्रतिस्थापन दर

| मात्रा : क्विण्टल में | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. सं. | मौसम / फसल | 2005–06 | | 2006–07 | | 2007–08' | |
| | | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} | बीज वितरण | बी0प्र0दर {प्रतिशत} |
| | रबी 2007 | | | | | | |
| 1. | गेहूं | 412415 | 19.42 | 490543 | 19.12 | 646891 | 29.47 |
| 2. | जौं | 25080 | 12.42 | 35098 | 15.13 | 50641 | 16.77 |
| 3. | चना | 32139 | 3.96 | 29627 | 3.91 | 43782 | 4.54 |
| 4. | सरसों | 68057 | 47.81 | 74500 | 60.1 | 80113 | 85.66 |
| 5. | अन्य | 1350 | - | 787 | - | - | - |
| | **योग रबी** | **539041** | **-** | **630555** | **-** | **821427** | **-** |

{ '} प्रोवीजनल बी0प्र0दर त्र बीज प्रतिस्थापन दर

3.1 विभाग का यह प्रयास है कि राज्य के किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित हो । इस हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

– फसलवार बीज प्रतिस्थापन दर (S.R.R.) बढ़ाने हेतु जिलेवार कार्य योजना तैयार करवाई गई।

– विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप गेहूं फसल की वर्तमान बीज प्रतिस्थापन दर ;S.R.R.) 19.12 प्रतिशत से बढ़कर 29.47 प्रतिशत, जौं फसल की 15.13 प्रतिशत से बढ़कर 16.77 प्रतिशत, चना फसल की 3.91 प्रतिशत से बढ़कर 4.54 प्रतिशत एवं सरसों फसल की 60 प्रतिशत से बढ़कर 85.66 प्रतिशत हो गई है ।

– आगामी वर्षो में प्रमाणित बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रजनक बीज की मात्रा को वर्ष 2005–06 की तुलना में दोगुने से भी अधिक किया गया है। वर्ष 2005–06 में 2,831 क्विण्टल प्रजनक बीज के मुकाबले वर्ष 2006–07 में 5,848 क्विण्टल प्रजनक बीज उपयोग किया गया एवं वर्ष 2007–08 में 8,428 क्विण्टल प्रजनक बीज उपयोग किया गया है ।

- बीज की गुणवत्ता में सुधार हेतु बीज प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया गया है। बीज प्रमाणीकरण संस्था के अलावा इस हेतु कृषि विभाग के 93 अधिकारी अधिकृत किए गए हैं, इससे बीज प्रमाणीकरण अधिकारियों की संख्या 43 से बढाकर 136 की गई है। बीज निगम द्वारा संचालित बीज उत्पादन की फसलों के कटाई, गहाई, पैकिंग आदि विभाग की देखरेख में किया जा रहा है ।

- विभाग द्वारा वितरित बीज मिनिकिट्स से लाभान्वित कृषकों को बीज उत्पादन कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन कृषकों के साथ अन्य कृषकों को भी उन्नत/विश्वसनीय किस्म का बीज मिल सके ।

- बीज की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु बीज विधायन केन्द्रों पर भी निरीक्षण किया जा रहा है ।

- प्रत्येक सीज़न में विशेष गुण नियन्त्रण अभियान का संचालन भी कराया जा रहा है एवं बीज के नमूने लेकर गुणवत्ता जांच कराई जा रही है ।

OOO

# 4. उर्वरक

समयानुकूल नीतियां अपनाये जाने के फलस्वरूप निरन्तर विषम परिस्थितियां बनी रहने के बावजूद राज्य में उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है । उर्वरक वितरण की प्रगति निम्न प्रकार है :–

खरीफ–2004 से 2007 तक उर्वरकों की खपत

{मैट्रिक टन}

| नाम उर्वरक | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| 1– यूरिया {N-46:} | 309379 | 411789 | 394195 | 509918 |
| 2– कैल0अमो0नाईट्रेट {N-25:} | 1648 | 1827 | 714 | 389 |
| 3– अमोनियम सल्फेट {N-20.6%-S-23:} | 1819 | 2685 | 3894 | 3299 |
| 4– डी0ए0पी0 {N-18%-P-46:} | 135068 | 139779 | 288288 | 216171 |
| 5– एन0पी0के0 {N-12%-P-32%-K-16:} | 10218 | 29743 | 20284 | 47234 |
| 6– एन0पी0 {N-20%-P-20:} | 11425 | 9516 | 16885 | 18762 |
| 7– एस0एस0पी0 {P-16:} | 71695 | 107226 | 116596 | 113088 |
| 8– म्यूरेट ऑफ पोटाश {K-60:} | 6004 | 4598 | 5689 | 13664 |

रबी 2004–05 से 2007–08 में उर्वरकों की खपत

{मैट्रिक टन}

| नाम उर्वरक | 2004. 2005 | 2005. 2006 | 2006. 2007 | रबी 2007–2008 जनवरी–08 तक |
|---|---|---|---|---|
| 1– यूरिया {N-46:} | 706410 | 747433 | 846972 | 712942 |
| 2– डी0ए0पी0 {N-18%-P-46:} | 209096 | 275268 | 209959 | 231566 |
| 3– एस0एस0पी0 {P-16:} | 88009 | 74323 | 93850 | 59702 |
| 4– एम0ओ0पी0 {K-60:} | 10244 | 12432 | 3257 | 10244 |
| 5– ए0एस0 {N-20%-S-23:} | 989 | 820 | 1918 | 914 |
| 6– कैन {N-25:} | 2429 | 1240 | 986 | 602 |
| 7– एन0पी0के0 {12:32:16} | 30906 | 30539 | 27384 | 5857 |
| 8– एन0पी0 {20:20} | 19141 | 6152 | 21745 | 5975 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यद्यपि विगत वर्षो में राज्य में उर्वरक उपयोग में {तत्व रूप में एवं मेटेरियल रूप में} वृद्धि हुई है तथापि राज्य का प्रति हैक्टर उर्वरक उपयोग कृषि के अग्रणी राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि की तुलना से कम है । राज्य में भी प्रति हैक्टर उर्वरक उपयोग में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में असमानता है । प्रति हैक्टर उर्वरक खपत में वृद्धि के साथ साथ समन्वित एवं सन्तुलित उर्वरक प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना वर्तमान समय की मांग है । कृषि विभाग इसके लिये प्रयत्नशील है । गत तीन वर्षो के उर्वरक उपयोग की तुलना में वर्ष 2006–07 में अब तक उर्वरक वितरण की प्रगति निम्न प्रकार हैं :–

| | | | | उर्वरक खपत : 000 टन |
|---|---|---|---|---|
| | उर्वरक {पोषक तत्वों के रूप में} | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 अब तक |
| **खरीफ** | नत्रजन | 221.06 | 229.21 | 283.66 |
| | फास्फेट | 92.88 | 133.53 | 136.40 |
| | पोटाश | 7.52 | 6.66 | 13.56 |
| | योग :– | **321.46** | **369.40** | **433.62** |
| **रबी** | नत्रजन | 398.74 | 435.67 | 371.87 |
| | फास्फेट | 149.52 | 124.71 | 119.14 |
| | पोटाश | 12.34 | 6.33 | 7.08 |
| | योग :– | **560.60** | **566.71** | **498.09** |
| | कुल योग :– | **882.06** | **936.11** | **931.71** |

## प्रति हैक्टर उर्वरक खपत

विगत वर्षो में प्रति हैक्टर उर्वरक खपत एवं वर्ष 2007–08 में प्रगति निम्न प्रकार हैं :–

| | | | मात्रा : किलोग्राम प्रति हैक्टर |
|---|---|---|---|
| वर्ष | खरीफ | रबी | वार्षिक खपत |
| 2001-02 | 25.05 | 66.90 | 37.93 |
| 2002-03 | 27.12 | 67.50 | 41.65 |
| 2003-04 | 22.39 | 67.25 | 36.55 |
| 2004-05 | 18.78 | 65.48 | 35.71 |
| 2005-06 | 22.96 | 71.55 | 40.49 |
| 2006-07 | 26.87 | 72.04 | 43.32 |
| 2007.08 {अनुमानित} | 33.87 | - | - |

4.1 **उर्वरकों की गुणवत्ता** : यूरिया एवं डी.ए.पी. की तुलना में एस.एस.पी. की गुणवत्ता नियंत्रण की आवश्यकता अधिक रहती है । इस हेतु वर्ष 2007–08 में उर्वरक की गुणवत्ता वृद्धि हेतु निम्न कदम उठाए गए :–

- विभाग द्वारा कृषि आदानों के नमूनों के लक्ष्य गत वर्ष की तुलना में अधिक रखे गये । संदिग्ध गुणवत्ता वाले निर्माताओं/विक्रेताओं के नमूने अधिक लिए गए ।

- नमूनों के लक्ष्यों में से 50 प्रतिशत नमूने सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिये जाने हेतु निरीक्षकों को निर्देश दिए गए ।

- वर्ष 2005–06 में एस0एस0पी0 में गुणवत्ता सुधार के लिये निर्माताओं की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

- निर्माताओं के यहां कार्यरत रसायनज्ञों को राजकीय परीक्षण प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया गया ।

- राज्य सरकार द्वारा एस0एस0पी0 का अधिकतम खुदरा मूल्य एवं भारत सरकार द्वारा देय अनुदान में वृद्धि की गई ।

- निम्न गुणवत्ता स्तर के एस0एस0पी0 निर्माताओं के विरूद्ध सख़्त कार्यवाही की गई है ।

- इसी का परिणाम है कि गत वर्ष की तुलना में अमानक नमूनों के प्रतिशत में कमी आई है एवं अमानक नमूनों में औसत सक्रिय तत्व पी$^2$ओ$^5$ में गत वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है ।

OOO

# 5. पौध संरक्षण

राज्य में विभिन्न फसलों, सब्जियों एवं फलों पर विभिन्न कीट रोग इत्यादि से होने वाले सम्भावित नुकसान की रोकथाम हेतु समय–समय पर कृषकों को तकनीकी जानकारी देना, पौध संरक्षण उपचार करवाना, दवाईयों की समुचित व्यवस्था करना, विभिन्न केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं तथा कीट/रोग महामारी के अन्तर्गत कृषकों को रसायनों एवं उपकरणों पर अनुदान उपलब्ध कराना, कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं नियम 1971 को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना आदि पौध–संरक्षण योजना के तहत मुख्य कार्य हैं। गत 2 वर्षो एवं वर्ष 2007–08 में अब तक की अनुमानित उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :–

| | पौध–संरक्षण कार्यो के अन्तर्गत क्षेत्रफल {लाख हैक्टर} | | | पौध–सरंक्षण रसायन का उपयोग {मैट्रिक टन} | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग |
| 2005-06 | 43.53 | 44.70 | 88.23 | 788 | 2937 | 3725 |
| 2006-07 | 41.18 | 47.00 | 88.18 | 673 | 2894 | 3567 |
| 2007-08 | 55.20 | 37.00 | 92.20 | 837 | 1760 | 2597 |

राज्य में पौध–संरक्षण कार्य हेतु कीटनाशक रसायनों का वितरण राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ एवं उनसे मनोनीत सहकारी समितियों, उनके द्वारा सीधे संचालित डिपोज़, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड एवं उनके द्वारा संचालित लेम्प तथा प्राईवेट एजेन्सियों के माध्यम से किया जाता है । इसके लिए 8,404 वितरण केन्द्र स्थापित हैं । अनुदान पर रसायनों की व्यवस्था राजस्थान राज्य क्रय विक्रय संघ एवं उससे मनोनीत सहकारी समितियां, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास संघ लिमिटेड एवं उनके द्वारा संचालित लेम्प सीधे संचालित डिपोज के माध्यम से किया जाता है ।

**5.1 कृषकों को सहायता :** पौध–संरक्षण प्रसार एवं प्रोत्साहन हेतु कृषकों को निम्नलिखित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं‌/राज्य की योजनाओं के अन्तर्गत पौध संरक्षण उपचार अपनाने के लिए पौध संरक्षण रसायनों/उपकरणों एवं बायो एजेन्ट पर वित्तीय वर्ष 2007–08 में निम्न प्रकार अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है :–

| | | योजना का नाम | अनुदान पद्धति | अधिकतम् देय अनुदान {रूपयों में} |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | **सघन कपास विकास योजना** | | |
| | क | आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस. | 30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु | 17000/- रूपये |
| | ख | बायो एजेन्ट पर अनुदान | कीमत का 50% या अधिकतम | 900/- रूपये |
| | ग | फेरोमेन ट्रेप अनुदान प्रति हैक्टर | ,, | 300/- रूपये |
| | ध | कीट/रोग सर्वे | चिन्हित कपास क्षेत्र | 100000/- रूपये |
| | ड़ | <u>पौध संरक्षण उपकरण</u><br>हस्त चलित {प्रति उपकरण}<br>पावर चलित {प्रति उपकरण}<br>ट्रेक्टर माउन्टेड {प्रति उपकरण} | कीमत का 50% या अधिकतम<br>,,<br>,, | 400-800/- रूपये<br>2,000/- रूपये<br>4,000/- रूपये |
| 2. | | **आईसोपॉम {तिलहन}** | | |
| | क | आई.पी.एम. आधारित एफ.एफ.एस. {प्रति प्रदर्शन 10 हैक्टर} | 30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु | 22680/- रूपये |
| | ख | आई.पी.एम. आधारित प्रदर्शन<br>**{प्रति प्रदर्शन 10 हैक्टर}** | 1. सरसों {प्रति हैक्टर}<br>2. मूंगफली {प्रति हैक्टर}<br>3. सोयाबीन {प्रति हैक्टर}<br>4. चना {प्रति हैक्टर}<br>5. मक्का {प्रति हैक्टर} | 930.00 रूपये<br>1627.50 रूपये<br>428.00 रूपये<br>747.50 रूपये<br>1480.00 रूपये |
| | ग | <u>पौध संरक्षण उपकरण</u><br>हस्त चलित {प्रति उपकरण}<br>पावर चलित {प्रति उपकरण} | कीमत का 50% या अधिकतम<br>,, | 400-800/- रूपये<br>2,000/- रूपये |
| | ध | पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान | रसायन मूल्य का 50 प्रतिशत | तरल कीटनाशी पर अधिकतम 200/– रूपये प्रति हैक्टर एवं पाऊडर कीटनाशी पर 100/– रूपये प्रति हैक्टर |
| | ड़ | चना फसल में नये, महगें व अधिक प्रभावी पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान | रसायन मूल्य का 50 प्रतिशत | अधिकतम 500/– रूपये प्रति हैक्टर |
| | च | खरपतवार नियंत्रण | ,, | अधिकतम 200/- रू. प्रति हैक्टर |
| | छ | एन.पी.वी. पर अनुदान | कीमत का 50% या अधिकतम | 250/– रू.प्रति हैक्टर |

| | | योजना का नाम | अनुदान पद्धति | प्रति हैक्टर/प्रति प्रदर्शन अधिकतम् देय अनुदान {रूपयों में} |
|---|---|---|---|---|
| 3. | | **कार्य योजना** | | |
| | क | आई.पी.एम. आधारित फारमर्स फील्ड स्कूल {एफ.एफ.एस.} | 30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु | 17,000/–रूपये प्रति [illegible] मोटे अनाज, गेहूं एवं गन्ने के लिए |
| ⊙ | ख | पौध संरक्षण रसायनों पर अनुदान | रसायन मूल्य का 50 प्रतिशत | तरल कीटनाशी पर अधिकतम 200/– रू. प्रति हैक्टर एवं पाउडर कीटनाशी पर अधिकतम 100/– रूपये प्रति हैक्टर |
| ⊙ | ग | नए महगें एवं अधिक प्रभावी खरपत वार नाशी रसायनों पर अनुदान | रसायन मूल्य का 50 प्रतिशत | अधिकतम रूपये 400/– प्रति हैक्टर |
| ⊙ | घ | <u>पौध संरक्षण उपकरण</u><br>हस्त चलित {प्रति उपकरण}<br>पावर चलित {प्रति उपकरण}<br>ट्रेक्टर माउन्टेड {प्रति उपकरण} | कीमत का 50ः या अधिकतम<br>,,<br>,, | 400.800६. रूपये<br>2ए000६. रूपये<br>4ए000६. रूपये |
| 4. | | **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन** | | |
| | क | आई.पी.एम. आधारित फारमर्स फील्ड स्कूल{एफ.एफ.एस.} प्रशिक्षण (गेहूं एवं चना) | 30 व्यक्तियों के प्रशिक्षण हेतु | 17,000/–रूपये प्रति [illegible] गेहूं एवं चने की फसल के लिए |

{⊙} 25 प्रतिशत अनुदान राशि कार्य योजना से एवं शेष 25 प्रतिशत अन्तर अनुदान राशि राज्य योजना से दी जाती है ।

## 5.2 जैविक विधि से कीट नियन्त्रण

पौध संरक्षण रसायनों की निर्भरता एवं उनसे होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से जैविक विधि से कीट/रोग नियंत्रण करने हेतु भारत सरकार के सहयोग से सघन कपास विकास योजना, आईसोपॉम एवं कार्य योजना में कृषकों को निःशुल्क प्रशिक्षण फारमर्स फील्ड स्कूल्स {एफ.एफ.एस.} के माध्यम से दिया जाकर उन्हें प्रशिक्षण एवं जानकारी देने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ।

5.3 पौध संरक्षण योजनाओं की प्रगति का विवरण

1– **समेकित नाशीजीव प्रबन्घन {आई.पी.एम.} प्रदर्शन** : आई.पी.एम.प्रदर्शन सघन कपास विकास योजना, आईसोपॉम योजना एवं कार्य योजना के तहत आयोजित किए जाते हैं ।

इन प्रदर्शनों में समस्त खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है । किसान को आई0पी0एम0 प्रदर्शन हेतु आई0पी0एम0 किट, लाईट ट्रेप, बायो–पेस्टीसाईड्स, फेरोमोन ट्रेप्स आदि निः शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं । प्रदर्शन अन्तर्गत चयनित कृषकों को आई.पी.एम. तकनीक का प्रशिक्षण भी निःशुल्क दिया जाता है ।

5.4 <u>पौध–संरक्षण रसायनों की गुणवत्ता सुधार हेतु वर्ष 2007–08 में उठाए गए प्रयास</u>

– कीटनाशी निरीक्षकों को कम से कम 50 प्रतिशत नमूने डस्ट एवं ग्रेन्यूल फोरमूलेशन के आहरित करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

– पिछले 5 वर्षो के गुणवत्ता रिकार्ड को मद्देनज़र रखते हुए निर्माताओं की चार श्रेणियां ए.बी.सी.डी. बनाई गई हैं जिसमें डी श्रेणी निम्न गुणवत्ता की श्रेणी है एवं ए श्रेणी उच्च गुणवत्ता की श्रेणी है । तदानुसार डी एवं सी श्रेणी की कम्पनियों के क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत नमूने लेने एवं निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है । निम्न गुणवत्ता के निर्माताओं/विक्रेताओं के अधिक निरीक्षण करने/नमूने लेने की रणनीति से प्रभावी गुणवत्ता नियंत्रण सम्भव है ।

– बायो–पेस्टीसाईड उत्पादों के नमूने लेने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

– गत वर्षो की तुलना में अमानक कीटनाशी के सक्रिय तत्व प्रतिशत में सुधार आ रहा है ।

– राज्य में स्थित कीटनाशी निर्माण इकाईयों का सघन निरीक्षण किया जा रहा है एवं निम्न गुणवत्ता के निर्माताओं/विक्रेताओं के विरूद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है ।

– गुणवत्ता सुधार हेतु खरीफ–2007 में विशेष अभियान चलाया गया एवं वर्तमान रबी 2007–08 में भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है ।

ooo

# 6. जिप्सम उपयोग

क्षारीय भूमि सुधार कार्यक्रम एवं तिलहनी तथा दलहनी फसलों में पोषक तत्व के रूप में जिप्सम उपयोग की योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की गई :–

## 6.1 कार्य योजनान्तर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम

क्षारीय भूमि सुधार में जिप्सम का उपयोग मृदा परीक्षण सिफारिश के अनुसार किया जाता है । इसमें जिप्सम के साथ–साथ ढेंचा की हरी खाद भी तैयार करवाई जाती है । जिप्सम एवं ढेंचा पर कुल 50 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है जिसमें 25 प्रतिशत अनुदान कार्य–योजना से एवं 25 प्रतिशत अनुदान डिफ्रेन्शियल सब्सिडी के रूप में राज्य–योजना से दिया जा रहा है । इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006–07 में 4,065 हैक्टर क्षेत्र को उपचारित कर राशि रूपये 76.11 लाख का उपयोग किया गया । यह कार्यक्रम वर्ष 2007–08 में राज्य के सभी जिलों में 8,000 हैक्टर क्षेत्र में लिया गया है, जिसके विरूद्ध माह अब तक 3,594 हैक्टर क्षेत्र में भूमि सुधार कार्य किया जाकर राशि रूपये 41.60 लाख का व्यय किया गया ।

## 6.2 आईसोपॉम कार्यक्रम

वर्ष 2006–07 में आईसोपॉम कार्यक्रम के तहत तिलहनी एवं दलहनी फसलों में पोषक तत्वों के रूप में उपयोग हेतु जिप्सम 250 किलोग्राम प्रति हैक्टर की दर से 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया गया । इस कार्यक्रम के तहत 60,000 मैट्रिक टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध 43,479 मैट्रिक टन जिप्सम वितरण कर 1,73,916 हैक्टर क्षेत्र में किसानों को लाभान्वित किया गया एवं राशि रूपये 347.97 लाख का उपयोग किया गया।

वर्ष 2007–08 में इस कार्यक्रम के तहत 1,20,000 मैट्रिक टन जिप्सम वितरण का लक्ष्य निर्धारित कर राशि रूपये 1,112.00 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 55,642 मैट्रिक टन जिप्सम वितरण कर राशि रूपये 455.60 लाख का उपयोग किया जा चुका है ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन ख्छण्थ्ैण्डण, के अन्तर्गत गेहूं एवं दलहन फसलों में 3,020 मैट्रिक टन जिप्सम का वितरण किया जाकर 34.74 लाख रूपये का व्यय किया गया है ।

## 6.3 जिप्सम वितरण हेतु विशेष प्रयास

राज्य के सूदूर क्षेत्रों में जिप्सम उपलब्धता बढ़ाने हेतु वर्ष 2005–06 से सरकारी/अर्द्ध–सरकारी/सहकारी समिति/निजी संस्थाओं के माध्यम से जिप्सम वितरण कार्य कराया जा रहा है । इन संस्थाओं के स्वंय के डीलर/विक्रेताओं के माध्यम से कृषकों को निकटतम स्थान पर जिप्सम उपलब्ध कराया गया है । वर्ष 2005–06 से जिप्सम की दरें जिलेवार निर्धारित की गई हैं एवं वर्ष 2007–08 में जिप्सम कृषकों को वर्ष 2006–07 की दर पर ही उपलब्ध कराया जा रहा है ।

OOO

# 7. प्रदर्शन

## 7.1 फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित फसल प्रदर्शन {तिलहन, दलहन, आयलपॉम और मक्का की समेकित योजना}

वर्ष 2004–05 से देश में तिलहन, दलहन, मक्का और आयलपॉम का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत तिलहन, दलहन और मक्का की निम्नलिखित प्रायोजित केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं चलाई जा रही थी :–

1– तिलहन उत्पादन कार्यक्रम {OPP}

2– राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना {NPDP}

3– त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम {AMDP}

4– आयलपॉम विकास कार्यक्रम {OPDP}

केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों के बजट उपयोग में लचीलापन लाने एवं फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने हेतु इन्हें समाहित कर एक ही योजना आइसोपॉम प्रारम्भ की गई है ।

इस केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के तहत राज्य में तिलहनी फसलों, दलहनी फसलों एवं मक्का फसल के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं । प्रदर्शन द्वारा इन फसलों की नई एवं उन्नत किस्मों एवं विभिन्न आधुनिक कृषि शष्य क्रियाओं का प्रचलन करना है । इस योजना के अनुसार प्रदर्शन का आकार गहन क्षेत्र में मक्का, तिलहनी एवं दलहनी फसलों के लिए 5 हैक्टर का है । प्रत्येक वृहद फसल प्रदर्शन पर एक फारमर्स फील्ड स्कूल आधारित कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है । प्रदर्शन का उन्नत शष्य क्रियाओं को कृषकों द्वारा अपनाने एवं प्रौद्योगिकी के हस्तानान्तरण में महत्वपूर्ण योगदान है । इन प्रदर्शनों के लिए निम्न प्रकार से आदानों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है :–

| | प्रदर्शन कार्यक्रम | प्रदर्शन पर देय अनुदान |
|---|---|---|
| 1. | उन्नत फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी के वृहद प्रदर्शन | आदानों के वास्तविक व्यय का |
| क– | **तिलहनी फसलें {खरीफ मौसम}** | |
| | मूंगफली | 50% या अधिकतम 4,000/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | सोयाबीन | 50% या अधिकतम 3,000/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | सूरजमुखी | 50% या अधिकतम 2,500/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | तिल, अरण्डी, कुसुम, रामतिल | 50% या अधिकतम 1,500/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | **रबी मौसम** : सरसों, अलसी | 50% या अधिकतम 2,000/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| ख– | **दलहनी फसलें {खरीफ मौसम}**<br>उड़द मूंग, मोठ, चौला, अरहर, ग्वार, कुल्थी, खेसरी<br>राजमा | 50% या अधिकतम 2,000/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो}<br><br>50% या अधिकतम 3,500/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | **रबी मौसम** : चना, मटर | 50% या अधिकतम 2,500/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | मसूर | 50% या अधिकतम 2,200/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| ग– | **मक्का फसल {खरीफ/रबी मौसम}** | 50% या अधिकतम 4,000/– रूपये प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | मूंगफली में पोलीथीन मल्च प्रौद्योगिकी वृहद प्रदर्शन | 50% या अधिकतम 7,000/– रूपये {4,000 + 3000 पोलीथीन मल्च बिछावन हेतु} प्रति हैक्टर {जो भी कम हो} |
| | फारमर्स फील्ड स्कूल {एफ.एफ.एस.} आधारित फसल प्रदर्शनों पर कृषक प्रशिक्षण | प्रति 5 हैक्टर ब्लॉक प्रदर्शन पर एक एफ.एफ.एस. आयोजित किया जाता है, जिसमें फसल की चार क्रान्तिक अवस्थाओं पर कृषक प्रशिक्षण एवं एक फील्ड–डे का आयोजन रखा है, जिसके व्यय हेतु 4000/– रूपये का प्रावधान है। |

वर्ष 2006–07 की वास्तविक एवं 2007–08 की प्रगति निम्न प्रकार है :–

| क्र. सं. | फसल मौसम | 2006.07 | | 2007.08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | प्रगति | लक्ष्य | प्रगति |
| 1. | **तिलहन फसल प्रदर्शन** | | | | |
| | खरीफ | **1874** | **2129** | **2039** | **1699** |
| | रबी | **1020** | **1000** | **1095** | **1125** |
| 2. | **दलहनी फसल प्रदर्शन** | | | | |
| | खरीफ | **883** | **732** | **77759** | **76135** |
| | रबी | **420** | **250** | **3173** | **3228** |
| 3. | **मक्का फसल प्रदर्शन** | | | | |
| | खरीफ | **1053** | **900** | **1053** | **1430** |
| 4. | मूंगफली फसल में पोलीथीन मल्च प्रदर्शन | **100** | **-** | **100** | **-** |

## 7.2 फसल प्रदर्शनों के सुधार हेतु किए जा रहे विशेष प्रयास

– वृहद फसल प्रदर्शनों के पूर्व के वर्षो से चले आ रहे दिशा निर्देशों में परिवर्तन कर फारमर्स फील्ड स्कूल {एफ.एफ.एस.} आधारित फसल प्रदर्शन आयोजित कराये गए हैं, जिनमें फसल की प्रमुख क्रान्तिक अवस्थाओं पर कृषक के खेत पर ही कृषकों को उन्नत शस्य क्रियाओं की जानकारी दी जाती है ।

OOO

# 8. मिनिकिट

राज्य में आइसोपॉम योजनान्तर्गत खरीफ, रबी एवं जायद फसल मौसम में दलहन, तिलहन एवं मक्का की विभिन्न किस्मों के मिनिकिट प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं ताकि फसल उत्पादन की नवीनतम तकनीक को किसानों के समक्ष प्रदर्शित किया जा सके एवं नवीनतम किस्मों {दस वर्षो के अन्दर रिलीज़} का प्रचार–प्रसार किया जा सके । दलहन, तिलहन एवं मक्का की विभिन्न किस्मों के मिनिकिट्स का आवण्टन भारत सरकार से प्राप्त होता है । वर्ष 2007–08 में मिनिकिट्स वितरण के दिशा निर्देशों का सरलीकरण कर समग्र निर्देश जारी किए गए । मिनिकिट्स आयोजन की वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 की प्रगति निम्नानुसार है :–

| फसल मौसम | फसल | 2006–2007 प्रगति | 2007–08 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | लक्ष्य | प्रगति |
| खरीफ | दलहन | 59185 | 46675 | 43175 |
| | तिलहन | 88648 | 144000 | 130073 |
| | मोटा अनाज | 109935 | 20300 | 20300 |
| रबी | दलहन | 47453 | 54887 | 46998 |
| | तिलहन | 251000 | 327542 | 326074 |
| | मक्का | 10000 | 55600 | 55600 |
| जायद | दलहन | 1500 | 25500 | . |
| | तिलहन | 500 | 1150 | . |
| | मक्का | . | . | . |

## 8.1 मिनिकिट्स वितरण हेतु किए गए विशेष प्रयास

- सरसों में किस्म माया, आर0एच0–9304 {MAYA, RH-9304} एवं हाईब्रिड डी0एम0एच0–1 {DMH-1}, रबी मक्का किस्म बायो–9367 {BIO-9367}, एच.क्यू.पी.एम.1 {HQPM-1} का मिनिकिट्स के रूप में वितरण ।

- पूर्व में संचालित 'बीज मिनिकिट वितरण' योजना को परिवर्द्धित कर 'मिनिकिट से बीज उत्पादन कार्यक्रम' के रूप में क्रियान्वित किया गया है । इसके अन्तर्गत मिनिकिट्स से लाभान्वित कृषकों को ग्राम पंचायत स्तर पर बीज उत्पादन कार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मिनिकिट से उच्च गुणवत्ता का बीज उत्पादन किया जा सके । कृषकों के साथ अन्य पड़ौसी कृषकों को भी आगामी वर्षो में उन्नत/विश्वसनीय किस्म का बीज अधिक मात्रा में स्थानीय स्तर पर मिल सकेगा ।

- समस्त मिनिकिट्स महिलाओं को आवण्टित ।
- मिनिकिट्स का कॉम्पेक्ट क्षेत्र में वितरण ।

- लक्ष्य से तीन गुना कृषकों की सूची तैयार कर सरपंच की अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से कृषक चयन कर मिनिकिट्स का वितरण ।

OOO

# 9. कृषि यंत्र

कृषि उत्पादन में आधुनिक कृषि यंत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है । अतः इनको लोकप्रिय बनाने के लिये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजनाओं में स्वीकृत अनुदान दर पर कृषि विभाग के माध्यम से कृषकों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराये जा रहे हैं । वर्तमान में निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से अनुदानित दर पर कृषकों को कृषि यंत्रध्उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं :–

1– आईसोपॉम योजना
2– कार्य योजना

आईसोपॉम योजना के अन्तर्गत हस्त/बैल चलित कृषि यंत्रों पर उनके मूल्य का 50 प्रतिशत {अधिकतम् 2,000/– रूपये} प्रति यंत्र प्रति कृषक अनुदान देय है । इसी प्रकार शक्ति चलित मल्टीक्रोप पॉवर थ्रेसर एवं ट्रेक्टर चलित चिन्हित यंत्रों पर मूल्य का 25 प्रतिशत {अधिकतम् 10,000/– रूपये} अनुदान देय है । कार्य योजना में बैल–चलित कृषि यंत्रों पर मूल्य का 25 प्रतिशत {अधिकतम् 2,000/– रूपये} एवं शक्ति ट्रेक्टर चलित यंत्रों पर 25 प्रतिशत {अधिकतम् 10,000/– रूपये} देय है ।

कार्य योजनान्तर्गत 35 पी.टी.ओ. हॉर्स पॉवर तक के ट्रेक्टरों पर कीमत का 25 प्रतिशत {अधिकतम् 30,000/– रूपये} तक अनुदान देय है ।

## 9.1 कृषि यंत्र वितरण {हस्त/बैल/शक्ति/ट्रेक्टर चलित}

विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 में 320.00 लाख के बजट प्रावधान से 32,000 कृषि यंत्र वितरण करने का कार्यक्रम के विरूद्ध 35,420 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया जिस पर 379.59 लाख रूपये अनुदान राशि का व्यय किया गया है ।

वर्ष 2006–07 में 386.00 लाख रूपये का प्रावधान किया जाकर 35,000 कृषि यंत्र वितरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके विपरीत 69,244 कृषि यंत्र वितरित कर 666.33 लाख रूपये का अनुदान दिया गया है ।

वर्ष 2007–08 में 325.00 लाख रूपये का प्रावधान किया जाकर 36,250 कृषि यंत्र वितरण का लक्ष्य रखा गया है जिसके तहत अब तक 39,881 कृषि यंत्रों का वितरण किया जाकर अनुदान राशि 318.00 लाख रूपये का उपयोग किया जा चुका है ।

9.2 कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत वर्ष 2001–02 से 2006–07 तक ट्रेक्टर वितरण की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :–

| राशि ———————————— लाख रूपये | | | |
|---|---|---|---|
| वर्ष | | अनुदान राशि का उपयोग | वितरण किये गये ट्रेक्टरों की संख्या |
| 2001-02 | | 186.00 | 620 |
| 2002-03 | | 99.00 | 330 |
| 2003-04 | | 133.80 | 446 |
| 2004-05 | | 90.00 | 300 |
| 2005-06 | | 388.00 | 1295 |
| 2006-07 | | 613.80 | 2046 |

## 9.3 कृषि यन्त्रीकरण के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रयास

– कृषि यंत्र वितरण योजनाओं में हस्तचलित कृषि यंत्रों पर समान रूप से 50 प्रतिशत अनुदान दिया गया ।

ΟΟΟ

# 10. मैक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर
# कार्य योजना

10.1 केन्द्र सरकार द्वारा माह नवम्बर–2000 से कृषि, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण, उद्यान, वन, सहकारिता तथा भू एवं जल उपयोग बोर्ड एवं राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित 27 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को मिलाकर **मैक्रो मैनेजमेन्ट ऑफ एग्रीकल्चर कार्य योजना** क्रियान्वित की जा रही है । भारत सरकार का हिस्सा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का हिस्सा 10 प्रतिशत है ।

10.2 इस योजनान्तर्गत विभाग की 6 केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं आई.सी.डी.पी.–कोर्स सीरियल/आई.सी.डी.पी.–गेहूं, गन्ना आधारित फसल योजना, क्षारीय भूमि सुधार एवं विकास, कृषि अभियांत्रिकी तथा सन्तुलित एवं समन्वित उर्वरकों का उपयोग योजनाओं को मेक्रो मेनेजमेन्ट कृषि कार्य योजना में क्रियान्वयन हेतु सम्मिलित की गई हैं । इनके अतिरिक्त नवीन कार्यक्रम भी शामिल हैं ।

10.3 वर्ष 2005–06 के लिये कार्य योजना हेतु राज्य योजना में कृषि विभाग का राज्यांश 412.10 लाख रूपये रखा गया एवं कुल 3699.30 लाख रूपये {केन्द्रीयांश 3329.37 लाख रूपये एवं राज्यांश 369.93 लाख रूपये} का प्रावधान रखा गया । वित्तीय केन्द्रीयांश स्वीकृति 3618.90 लाख रूपये की प्राप्त हुई, जिसके विरूद्ध {सी.एस.एस.योजना के अन्तर्गत} 3431.01 लाख रूपये का खर्चा हुआ ।

10.4 वर्ष 2006–07 हेतु कुल राशि 4478.92 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें 4031.03 लाख रूपये केन्द्रीयांश एवं 447.89 लाख रूपये राज्यांश रखा गया है । इसके विरूद्ध केन्द्रीयांश की स्वीकृति 3631.77 लाख रूपये की प्राप्त हुई जिसके विरूद्ध 3456.64 लाख रूपये {केन्द्रीयांश} एवं 384.73 लाख राज्यांश का व्यय हुआ है ।

10.5 वर्ष 2007–08 में कार्य योजनान्तर्गत कुल राशि रूपये 2689.80 लाख रूपये में राज्यांश रूपये 268.98 लाख एवं केन्द्रीयांश रूपये 2420.82 लाख का प्रावधान रखा गया जिसके विरूद्ध अब तक कुल व्यय 1903.12 लाख रूपये हुआ जिसमें 1712.81 लाख रूपये केन्द्रीयांश एवं 190.31 लाख रूपये राज्यांश है ।

ooo

# 11. गुण नियन्त्रण

कृषि उत्पादन में उत्तम गुणवत्ता के कृषि आदानों की उपलब्धता का विशेष महत्व है । अमानक बीज के क्रय, विक्रय एवं अनियमित व्यवसाय करने के क्रम में बीज अधिनियम 1966, बीज नियंत्रण आदेश 1983, अमानक/नकली उर्वरकों के क्रय, विक्रय एवं उनके अनियमित व्यवसाय के क्रम में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं अमानक/नकली कीटनाशी के क्रय, विक्रय एवं अनियमित व्यवसाय के क्रम में कीटनाशी अधिनियम 1968, कीटनाशी अधिनियम 1971 एवं कीटनाशी आदेश 1986 भारत सरकार द्वारा जारी किए गए हैं ।

विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ–साथ राज्य में कृषि आदानों की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए कृषि अधिकारियों को आदान निरीक्षकों की शक्तियां दी गई हैं । वर्तमान में उर्वरक एवं पौध संरक्षण के कुल 401 एवं बीज के कुल 425 कृषि आदान निरीक्षकों को उनके अधिकारिता क्षेत्र में कार्य करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। उक्त समस्त निरीक्षक राज्य के विभिन्न उप–जिलों/जिलों में पदस्थापित हैं और इन निरीक्षकों द्वारा उनके अधिकारिता क्षेत्र में वितरित हो रहे कृषि आदानों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होती है । इन निरीक्षकों द्वारा उनके अधिकारिता क्षेत्र में कार्यरत समस्त कृषि आदान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर नमूने लिए जाते हैं ।

संबंधित विक्रेता द्वारा बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर का इन्द्राज, मूल्य सूची बोर्ड पर मूल्य

सूची एवं स्टॉक प्रदर्शित करना उनके द्वारा क्रय किए गए आदान के स्त्रोत भण्डारण आदि कार्य इसमें शामिल हैं एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमों/अधिनियमों/आदेशों के तहत संबंधित विक्रेता के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही की जाती है । निरीक्षण के दौरान निरीक्षकों द्वारा संबंधित विक्रेता के प्रतिष्ठान पर उपलब्ध कृषि आदानों के नमूने लिए जाकर राजकीय परीक्षण प्रयोगशालाओं/केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशालाओं को भिजवाए जाते हैं ।

11.1 **गुण नियन्त्रण प्रयोगशालाएं** : कृषि आदानों के विश्लेषण हेतु राज्य में कार्यरत प्रयोगशालायें एवं उनकी विश्लेषण क्षमता निम्न प्रकार है :–

| कृषि आदान का नाम | प्रयोगशाला | यूनिट | विश्लेषण क्षमता |
|---|---|---|---|
| कीटनाशी | 1. दुर्गापुरा–जयपुर | संख्या | 1,000 |
| | 2. बीकानेर | संख्या | 600 |
| | 3. जोधपुर | संख्या | 600 |
| | 4. कोटा | संख्या | 600 |
| | 5. उदयपुर | संख्या | 600 |
| | | योग : | **3,400** |
| उर्वरक | 1. दुर्गापुरा–जयपुर | संख्या | 2,000 |
| | 2. जोधपुर | संख्या | 2,000 |
| | 3. उदयपुर | संख्या | 2,000 |
| | 4. भरतपुर | संख्या | 2,000 |
| | | योग : | **8,000** |
| बीज | 1. दुर्गापुरा–जयपुर | संख्या | 10,000 |
| | 2. श्रीगंगानगर | संख्या | 5,000 |
| | 3. कोटा | संख्या | 5,000 |
| | 4. चित्तौड़गढ़ | संख्या | 5,000 |
| | 5. जोधपुर | संख्या | 5,000 |
| | 6. अलवर | संख्या | 5,000 |
| | | योग : | **35,000** |

वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में अब तक विभिन्न कृषि आदानों के विश्लेषित, मानक एवं अमानक नमूनों का विवरण

निम्न प्रकार है :–

| कृषि आदान का नाम | विवरण | 2006–07 | 2007–08 |
|---|---|---|---|
| कीटनाशी | विश्लेषित नमूने<br>मानक नमूने<br>अमानक नमूने | 1636<br>1507<br>129 | 2440<br>2263<br>177 |
| उर्वरक | विश्लेषित नमूने<br>मानक नमूने<br>अमानक नमूने | 4989<br>4834<br>155 | 6323<br>6160<br>163 |
| बीज | विश्लेषित नमूने<br>मानक नमूने<br>अमानक नमूने | 4790<br>4737<br>53 | 5792<br>5521<br>271 |

## 11.2 गुण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रयास

– वर्ष 2007–08 में नवीन कीटनाशी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना दुर्गापुरा {जयपुर} में की जा चुकी है । इस हेतु 2.90 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है ।

– वर्ष 2006–07 में राशि रूपये 30.00 लाख की लागत से एक नई कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशाला श्रीगंगानगर जिले हेतु स्वीकृत की गई थी जिसका निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

– खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के वित्तीय सहयोग से उदयपुर में कीटनाशी प्रयोगशाला की स्थापना की जा चुकी है । माह अप्रेल–2007 से प्रयोगशाला में विश्लेषण कार्य आरम्भ हो गया है ।

– बीज परीक्षण प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर द्वारा अनुवांशिक शुद्धता का परीक्षण कर बीज निरीक्षकों को इसके परिणाम से भी अवगत कराया जाना प्रस्तावित है।

– भारत सरकार द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश–1985 में हुए संशोधन 2006 के अन्तर्गत जैव उर्वरक यथा एजोटोबेक्टर, राईजोबियम, एजोस्पिरिलम एवं पी.एस.बी. की जांच हेतु राईजोबियम कल्चर प्रयोगशाला, दुर्गापुरा–जयपुर का गजट नोटिफिकेशन किया गया । साथ ही कार्बनिक उर्वरक, प्रेसमड, वर्मी–

कम्पोस्ट हेतु मौजूदा प्रयोगशालाओं का नोटिफिकेशन किया गया है ।

– कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में समय समय पर विशेष गुण नियंत्रण अभियान चलाकर निर्माताओं के परिसर एवं विक्रेताओं का सघन निरीक्षण कर नमूले लिए जा रहे हैं ।

– एस.एस.पी. उर्वरक की गुणवत्ता सुधार हेतु निर्माताओं के विनिर्माण परिसर में कार्यरत रसायनज्ञों को राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित किया गया एवं उर्वरक निरीक्षकों को ब्राण्डवार एस.एस.पी. उर्वरक के नमूने आपूर्ति तथा गुणवत्ता के आधार पर लेने के लक्ष्य विभाग द्वारा निर्धारित किए गए ।

OOO

# 12. कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र

इन परीक्षण केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य कृषि अनुसंधान केन्द्रों से प्राप्त अनुसंधान सिफारिशों को विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों तथा स्थानीय स्थितियों में जांच कर उनकी उपयोगिता का पता लगाना तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अनुसंधान सिफारिशों में परीक्षणों द्वारा संशोधन करना है। परीक्षणों के आधार पर कृषि जलवायुविक खण्डवार पैकेज ऑफ प्रेक्टिस तैयार करना एवं उन्नत कृषि विधियों की ज्ञानमाला में संशोधन किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र विस्तार कार्यकर्ताओं के रोज़मर्रा के कार्य में आने वाली तकनीकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं । फसल उत्पादन की नवीनतम् तकनीक एवं अन्य कृषि ज्ञान को शोध कार्य के माध्यम से किसान के खेत तक पहुंचाने और इस माध्यम से उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि ग्राह्य परीक्षण कार्यक्रम राज्य में कृषि विस्तार एवं अनुसंधान परियोजना के प्रारम्भ होने के साथ ही शुरू किया गया । ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर खाद्यान्न फसलों के अलावा मसाला फसलों पर भी परीक्षण किए जा रहे हैं एवं विस्तार कार्यकर्ताओं को नवीन तकनीकी ज्ञान देने हेतु प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं । वर्ष में एक बार किसान मेला आयोजित कर नई तकनीकी के परीक्षणों को सीधे ही किसानों को दिखाकर लाभान्वित किया जाता है । बीज उत्पादन करने के क्षेत्र में कई नई निजी संस्थाऐं राज्य में संकर एवं उन्नत किस्म के बीज उत्पादन हेतु आ रही हैं । उनके द्वारा उत्पादित किस्मों की उपयोगिता की जांच ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर की जाती है । ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर तकनीकी अधिकारियों की देख–रेख में प्रजनक/प्रमाणित बीज उत्पादन का कार्यक्रम भी लिया

जाता है । इसके अतिरिक्त इन केन्द्रों पर उपलब्ध जल के कुशलतम उपयोग हेतु फव्वारा पद्धति एवं बूंद–बूंद सिंचाई की तकनीकी जानकारी दी जाती है । राज्य में 9 कृषि ग्राह्य परीक्षण केन्द्र कार्यरत हैं, जो विभिन्न कृषि जलवायुविक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं :–

| क्र.सं. | कृषि जलवायु क्षेत्र | नाम ग्राहय परीक्षण केन्द्र |
|---|---|---|
| 1. | शुष्क मैदानी पश्चिम क्षेत्र {खण्ड 1–ए} | रामपुरा {जोधपुर} |
| 2. | सिंचित मैदानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र {खण्ड 1–बी} | श्रीकरणपुर एवं हनुमानगढ़ |

| क्र.सं. | कृषि जलवायु क्षेत्र | नाम ग्राहय परीक्षण केन्द्र |
|---|---|---|
| 3. | शुष्क मैदानी पश्चिम क्षेत्र {खण्ड 1–सी} | लूणकरणसर |
| 4. | अन्तः स्थानीय जलोत्सरण के अन्तवर्ती मैदानी क्षेत्र {खण्ड 2–ए} | – |
| 5. | लूनी नदी का अन्तर्वर्ती मैदानी क्षेत्र {खण्ड 2–बी} | सुमेरपुर {पाली} |
| 6. | अर्द्धशुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र {खण्ड 3–ए} | तबीजी {अजमेर} |
| 7. | बाढ़ सामान्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र {खण्ड 3–बी} | मलिकपुर {भरतपुर} |
| 8. | अर्द्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र {खण्ड 4–ए} | चित्तौड़गढ़ |
| 9. | आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र {खण्ड 4–बी} | – |
| 10. | आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र {खण्ड 5 } | छत्रपुरा (बून्दी) |
| **जलवायु खण्ड 2–ए एवं 4 बी में ग्राह्य परीक्षण केन्द्र कार्यरत नहीं है ।** | | |

ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों की वर्षवार परीक्षणों की प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :–

| प्रयोग––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––संख्या | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | खरीफ | | रबी | | योग | |
| वर्ष | कृषि ग्राह्य केन्द्र पर | कृषक के खेत पर | कृषि ग्राह्य केन्द्र पर | कृषक के खेत पर | कृषि ग्राह्य केन्द्र पर | कृषक के खेत पर |
| 2004-05 | 130 | 168 | 135 | 110 | 265 | 278 |
| 2005-06 | 126 | 212 | 153 | 189 | 279 | 401 |
| 2006-07 | 115 | 175 | 148 | 173 | 263 | 348 |
| 2007-08 | 120 | 148 | 153 | 236 | 273 | 384 |

समन्वित कीट नियंत्रण हेतु ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों तबीजी {अजमेर}, रामपुरा {जोधपुर} हनुमानगढ, मलिकपुर {भरतपुर}, छत्रपुरा {बून्दी} एवं चित्तौड़गढ़ पर समेकित नाशीजीव

प्रबन्धन {आई.पी.एम.} केन्द्र स्थापित हैं । इन केन्द्रों पर बायो–एजेण्ट्स ट्राईकोग्रामा, ट्राईकोडर्मा, एन.पी.वी. पर अनुसन्धान किया जा रहा है एवं इनका उत्पादन कर किसानों को वितरण किया जा रहा है । वर्ष 1998–99 से ग्राह्य परीक्षण केन्द्रों पर परीक्षणों के अलावा अन्य कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए गए हैं । जैसे राजस्थान राज्य बीज निगम की सहायता से बीज उत्पादन कार्यक्रम, शस्य वानिकी, वर्मी–कल्चर एवं वर्मी–कम्पोस्ट इत्यादि । बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति इस प्रकार है :–

| वर्ष | इकाई | लक्ष्य आवण्टन | प्रगति |
|---|---|---|---|
| 2005–06 | हैक्टर | 100 | 124.9 |
| 2006–07 | हैक्टर | 163 | 146.8 |
| 2007–08 | हैक्टर | 165 | 149.4 |

## 12.1 कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए विशेष प्रयास :

---

– कृषकों को रतनजोत {जैट्रोफा} की खेती हेतु प्रशिक्षण एवं तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु उपर्युक्त चारों केन्द्रों पर वर्ष 2005–06 में रतनजोत {जैट्रोफा} का मॉडल प्लान्टेशन कराया गया ।

– कृषकों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2007–08 में सभी कृषि ग्राहय केन्द्रों पर बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया गया है ।

– जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राहय परीक्षण केन्द्रों पर वर्मीकल्चर {कैंचुआ संवर्धन} किया जा रहा है । वर्ष 2006–07 में कृषि ग्राहय केन्द्र, क्रमशः सुमेरपुर {पाली}, तबीजी {अजमेर}, हनुमानगढ़, श्रीकरणपुर एवं छत्रपुरा {बून्दी} पर क्रमशः 3000, 1924, 240, 92 एवं 2200 किलोग्राम वर्मीकल्चर का उत्पादन कर कृषकों के यहां वर्मीकल्चर के प्रदर्शन आयोजित करने हेतु कृषि विस्तार कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराये गये ।

– राज्य में जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु 4 ग्राहय परीक्षण केन्द्रों यथा चित्तौड़गढ़, तबीजी {अजमेर}, बून्दी एवं सुमेरपुर {पाली} पर 2–2 हैक्टर के जैविक खेती के मॉडल फार्म विकसित करने का कार्य वर्ष 2006–07 से प्रारम्भ किया गया है ।

– ड्रिप सिंचाई पद्धति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक ग्राहय परीक्षण केन्द्र पर वर्ष 2006–07 में विभिन्न फसलों जैसे कपास, आंवला, बेर, किन्नू, अमरूद, रतनजोत, सब्ज़ियां इत्यादि में 18.5 हैक्टर ड्रिप सिंचाई संयत्र प्रदर्शन स्थापित किए गए हैं, जिससे क्षेत्र के कृषकों में माईक्रो इरिगेशन के प्रति रूझान बढ़े एवं वे इन्हें अपनाने के लिए प्रेरित हों ।

ooo

## 13. कृषि सूचना कार्यक्रम

कृषकों तक उन्नत कृषि ज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि विभाग द्वारा प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया का योजनाबद्ध रूप से उपयोग किया जा रहा है। राज्य स्तर पर कृषि सूचना शाखा द्वारा विभिन्न जन संचार माध्यम जैसे दैनिक समाचार पत्रों, कृषि पत्र पत्रिकाओं से तकनीकी प्रसार के समन्वय के साथ साथ स्वयं खेती री बातां मासिक अखबार मौसमवार प्रमुख फसलों की उन्नत कृषि विधियों की पुस्तिका, विभिन्न विषयों पर पेम्पलेटस, पोस्टर आदि का प्रकाशन भी किया जा रहा है । जिला स्तर पर रबी/खरीफ पुस्तिकाएं, कृषक–मित्रवत साहित्य तैयार कर कृषकों, जनप्रतिनिधियों तथा कृषि से संबंधित संस्थाओं को वितरित किया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध इलेक्ट्रोनिक मीडिया (दूरदर्शन एवं आकाशवाणी तंत्र) के कृषि ज्ञान के प्रचार–प्रसार में उपयोग हेतु कृषि विभाग द्वारा विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे है । दूरदर्शन पर नवांकुर कार्यक्रम तथा आकाशवाणी पर खेती री बातां तथा रेडियो कृषि शिक्षा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

## 13.1 इलेक्ट्रोनिक मीडिया

क– **खेती री बातां कार्यक्रम** : राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों से प्रतिदिन 7.45 से 8.15 बजे सायं कृषकोपयोगी जानकारी एवं प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार तथा शनिवार को फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। अप्रेल–2007 से अब तक 306 कार्यक्रम प्रसारित किए जा चुके हैं ।

ख– **रेडियो कृषि शिक्षा कार्यक्रम** : राज्य में आकाशवाणी केन्द्र सूरतगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अलवर, चित्तोड़गढ़, बांसवाड़ा एवं नागौर से आई0सी0डी0पी0 कॉटन योजनान्तर्गत कपास की उन्नत कृषि तकनीक विषय पर नियत दिन एवं नियत समय पर 12 पाठों की श्रृंखलाओं का प्रसारण किया गया ।

ग– **नवांकुर** : कृषि विभाग द्वारा दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर से प्रत्येक गुरूवार को सांय 7.30 से 8.00 बजे तक नवांकुर कार्यक्रम का प्रसारण करवाया जाता है । माह के दूसरे एवं चौथे बुधवार को दूरभाष संख्या 0141–5116240 पर प्रातः 11.00 बजे से 12.00 बजे तक नवांकुर में कृषक प्रश्न भी पूछते है, जिनका समाधान तत्समय उपलब्ध कृषि विशेषज्ञों द्वारा फोन पर ही कर दिया जाता है । इसका प्रसारण अगले दिन गुरूवार को सांय 7.30 बजे किया जाता है । अप्रेल–2007 से अब तक 38 कड़ियों का प्रसारण किया गया ।

## 13.2 प्रिन्ट मीडिया

क– **खेती री बातां अखबार** : खेती री बातां मासिक अखबार कृषि विभाग द्वारा हर माह प्रकाशित किया जाता है एवं 12/– रूपये मासिक वार्षिक शुल्क पर कृषकों को घर बैठे उपलब्ध कराया जाता है । वर्तमान में प्रसार संख्या 23,000 है।

ख– **जिला स्तरीय पैकेज पुस्तकें** : राज्य में कृषि उन्नत तकनीक किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला स्तर से बहुरंगीय पुस्तकों का प्रकाशन किया गया है। खरीफ–2007 एवं रबी 2007–08 में 32.23 लाख पुस्तकें छपवाकर वितरित की गई । ये पुस्तकें कृषि कृषकों, विभाग के समस्त कार्मिकों, विद्यालयों, जनप्रतिनिधियों {वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य, माननीय विधायक, माननीय सांसद, प्रधान एवं जिला प्रमुख}, सम्भागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, महात्मा गांधी पुस्तकालय, सतत् शिक्षा केन्द्र, के.वी.एस.एस., जी.एस.एस., जिले के कृषि आदान विक्रेताओं, पटवारी, ग्राम पंचायत, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उपलब्ध करवाई गई हैं ।

ग– **कृषक मित्रवत साहित्य** : जिलों में कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक, विभागीय योजनाओं एवं उन्नत कृषि तकनीक आधारित 45.00 लाख से अधिक पैम्पलेट, फोल्डर्स, पोस्टर्स आदि प्रकाशित किए गए हैं ।

### 13.3 अन्य प्रचार–प्रसार गतिविधियां :

---

क– राज्य में किसानों को नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं विभागीय योजनाओं के बारे में ज्ञान वृद्धि हेतु वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, फिल्म शो, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, बैनर, फ्लेक्स, मॉडल्स, क्विज़, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाता है ।

ख– **राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कृषि प्रदर्शनियां** : राज्य की कृषि जिन्सों तथा तिलहन, मसाले, फल आदि के लिए प्रसंस्करण एवं निर्यात की सम्भावनाओं एवं अवसर को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लिया गया । इस हेतु अप्रेल–07 में खेल संकुल, झालावाड़ में एवं अक्टूबर–07 में महाराणा प्रताप कृषि तथा प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर में एग्रीकान्क्लेव–2007 में भागीदारी की गई । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 14–27 नवम्बर–2007 प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भागीदारी की गई ।

ग– **किसान कॉल सेन्टर** : किसान कॉल सेन्टर की स्थापना कृषकों को टेलीफोन के जरिए कृषि एवं संबंधित विषयों की तकनीकी जानकारी देने हेतु की गई है । किसान फोन नम्बर 1551 पर निःशुल्क कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अप्रेल–2007 से अब तक राज्य में स्थापित कॉल सेन्टर पर कृषकों के 52,294 कॉल प्राप्त हुए। कृषकों द्वारा बहुधा औषधीय एवं सुंगधित फसलों, उद्यानिकी फसलों, मशरूम, मधुमक्खी पालन, जैविक खेती से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान किया गया ।

घ– **मोबाईल एग्री क्लिनिक** : कृषि संबंधी जानकारी कृषकों को सुगमता से उपलब्ध कराने एवं कृषि समस्याओं का समाधान कृषकों के द्वार तक पहुंच करने की दृष्टि से कृषि विभाग में उपलब्ध मिट्टी परीक्षण वाहन एवं वीडियो वाहन का उपयोग मोबाईल एग्री क्लिनिक के रूप में किया जा रहा है । प्रत्येक मोबाईल एग्री क्लिनिक के माह में 4 दिवसीय भ्रमण निर्धारित है।

ङ– **कृषि दर्शन** : दूरदर्शन द्वारा सांय 6.00 बजे कृषि दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इसके लिए कृषि विभाग द्वारा विशेषज्ञ, सफल कहानियां तथा कृषि संबंधी समसामयिक सामग्री एवं वीडियो क्लिप्स उपलब्ध करवाई जा रही है।

च– **करिश्मा नेटवर्क, ग्रामसेट नेटवर्क व ई–चौपाल नेटवर्क के जरिए प्रचार–प्रसार :** कृषि की उन्नत तकनीक एवं योजनाओं की जानकारी के लिए इन नेटवर्क के जरिए वीडियो क्लिप एवं फिल्म्स का प्रसारण करवाया जा रहा है । ई–चौपाल को साहित्य भी उपलब्ध करवाया जाता है। OOO

# 14. मिट्‌टी एवं पानी परीक्षण

कृषि विभाग के अधीन स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा कृषक के खेतों के मृदा एवं जल के नमूनों का विश्लेषण कर फसलों हेतु सन्तुलित खाद् एवं उर्वरक उपयोग की सिफारिश की जाती है । इन्हें कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है ।

14.1 वर्ष 2006–07 में 21 स्थाई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रमशः दुर्गापुरा {जयपुर}, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, झालावाड़, अलवर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, दौसा, करौली, बून्दी, बारां, धौलपुर, चूरू, झुण्झुनू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर एवं राजसमन्द जिलों में कार्यरत थी । इनके अलावा 11 भ्रमणशील मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं क्रमशः दुर्गापुरा {जयपुर}, भरतपुर, सीकर, पाली, सिरोही, सवाईमाधोपुर, अजमेर, नागौर, चित्तौड़गढ़, टोंक एवं उदयपुर जिलों में एवं 1 क्षारीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जोधपुर में कार्यरत थी । इन सभी की वार्षिक क्षमता 3.50 लाख नमूनों के विश्लेषण की थी जिसके विरूद्ध इन प्रयोगशालाओं द्वारा 3.13 लाख नमूनों का विश्लेषण कर उर्वरक सिफारिश कृषकों को उपलब्ध कराई गई ।

14.2 वर्ष 2007–08 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड के प्रारूप का उन्नयन कर अधिक

उपयोगी एवं कृषक मित्रवत बनाया गया है । इसके अतिरिक्त राज्य में कृषकों को गॉवों में उर्वरा स्तर के आधार पर ग्राम स्तरीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं । अब तक 23.50 लाख ग्राम स्तरीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं ।

14.3 वर्ष 2006–07 में 3.50 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्डो के माध्यम से मृदा परीक्षण सिफारिशें कृषकों को उपलब्ध कराई गई हैं । वर्ष 2007–08 में अब तक 2.55 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2002–03 से अब तक कुल 11.35 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं ।

14.4 निजी क्षेत्र {चम्बल फर्टीलाईज़र} के सहयोग से कोटा, बारां, बून्दी एवं झालावाड़ में कृषि उपज मण्डी परिसर में नवीन मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करवाई गई हैं । इनके अलावा 8 कृषि उपज मण्डियों में भी मृदा परीक्षण की सुविधा इस वर्ष विकसित की जा रही है । इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भी मृदा परीक्षण की सुविधायें विकसित की जा रही हैं । इस प्रकार उक्त प्रयोगशालाओं के क्रियाशील होने से 5.00 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रति वर्ष वितरण किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

ООО

# 15. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों के कारण संसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य के समस्त जिलों में राज्य सरकार द्वारा खरीफ 2003 से प्रारम्भ की गई है। खरीफ–2003 से रबी 2007–08 तक संसूचित की गई फसलों का विवरण निम्नानुसार है :–

| | | लों की संख्या | संसूचित फसलों के नाम |
|---|---|---|---|
| | खरीफ | | , ज्वार ,मूंगफली, कपास, ग्वार |
| | | | ा, सरसों, तारामीरा, मसूर |
| | खरीफ | | बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मूंग, मोठ, चौला, उड़द, अरहर, तिल, अरण्डी, सोयाबीन, ग्वार |
| | | | , सरसों, तारामीरा, मसूर, धनिया, ज़ीरा |
| | खरीफ | | बाजरा, ज्वार, मूंगफली, मूंग, मोठ, चौला, उड़द, अरहर, तिल, अरण्डी, सोयाबीन, ग्वार |
| | | | ना, सरसों, तारामीरा, मसूर, धनिया, मैथी, ईसबगोल, सौंफ, ज़ीरा |
| | खरीफ | | ा, ज्वार, मूंग, मोठ, चौला, उड़द, अरहर, तिल,ग्वार |
| | | | ना, सरसों, तारामीरा, मसूर, धनिया, मैथी, ईसबगोल, ज़ीरा |
| | खरीफ | | , ज्वार, मूंग, मोठ, चौला, उड़द, अरहर, तिल, ग्वार, मूंगफली, सोयाबीन |
| | | | ना, सरसों, तारामीरा, मसूर, धनिया, मैथी, इसबगौल, ज़ीरा |

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत खरीफ–2007 एवं रबी 2007–08 की अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है । राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना राज्य के 22 जिलों में लागू रहेगी । खरीफ–2003 से खरीफ–2007 तक वर्षवार बीमित कृषक, प्रीमियम राशि, लाभान्वित कृषक की संख्या

एवं बीमित कृषकों को दी गई क्षतिपूर्ति मुआवज़ा राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

| फसल मौसम | बीमित कृषक संख्या {लाख} | बीमित राशि {करोड़ रूपये} | प्रीमियम राशि {करोड़ रूपये} | लाभांवित कृषक संख्या {लाख} | मुआवजा राशि {करोड़ रूपये} |
|---|---|---|---|---|---|
| खरीफ 2003 | 0.21 | 27.26 | 0.95 | 0.003 | 0.02 |
| रबी 2003–04 | 0.40 | 14.97 | 0.25 | 0.007 | 0.12 |
| खरीफ 2004 | 14.98 | 1373.00 | 43.44 | 3.30 | 133.04 |
| रबी 2004–05 | 4.45 | 616.00 | 11.65 | 0.46 | 10.30 |
| खरीफ 2005 | 16.67 | 1481.00 | 46.19 | 6.08 | 216.08 |
| रबी 2005–06 | 6.70 | 970.00 | 21.45 | 1.67 | 84.43 |
| खरीफ–2006 | 18.06 | 1339.00 | 38.37 | 4.73 | 180.38 |
| रबी 2006–07 | 8.13 | 1184.00 | 29.94 | 1.93 | 52.65 |
| खरीफ–2007 {प्रस्तावित} | 21.47 | 1774.00 | 52.11 | 2.30 | 90.38 |

### 15.1 मौसम आधारित फसल बीमा योजना

रबी 2007–08 में प्रायोगिक आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य के 10 जिलों क्रमशः अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, कोटा एवं उदयपुर में लागू की गई है जिसमें 8 फसलों क्रमशः जौं, गेहूं, चना, सरसों, मैथी, धनिया, ज़ीरा एवं इसबगौल को संसूचित किया गया है । गैर ऋणी कृषकों के लिए राज्य में सभी जिलों में मौसम आधारित फसल बीमा योजना क्रियान्वित की जा रही है ।

OOO

## 16. विशेष अभियान

विभिन्न कृषि योजनाओं का लाभ कृषकों के द्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्व्य से खरीफ पूर्व खरीफ अभियान एवं रबी पूर्व कृषि

योजनाएं आपके द्वार हर वर्ष ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया गया है ।

## 16.1 किसान महोत्सव {खरीफ अभियान–2007}

खरीफ पूर्व समुचित तैयारियां करने हेतु दिनांक 11 जून–07 से 20 जून–07 तक सभी जिलों में किसान महोत्सव {खरीफ अभियान–2007} अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान कृषि विभाग द्वारा व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं के क्रियान्वयन की रणनीति बनाई गई एवं कृषकों को नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाई गई ।

– इस कार्यक्रम के दौरान 9,183 कैम्पस आयोजित किए गए एवं इस अभियान में 7.74 लाख कृषकों द्वारा भाग लिया गया ।

– कृषकों को 9,963 क्विण्टल प्रमाणित बीज एवं 10,603 मैट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध करवाया गया ।

– कृषक महिलाओं को 2.60 लाख मिनिकिटस, 1.40 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं 6.44 लाख ग्राम स्तरीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 2.74 लाख कल्चर पैकेट वितरित किए गए । इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के लिए कृषकों के आवेदन पत्र तैयार करवाए गए।

## 16.2 कृषि योजनाएं आपके द्वार अभियान {रबी अभियान}

किसान महोत्सव में मिली सफलता को देखते हुए कृषि योजनाएं आपके द्वार अभियान दिनांक 1 अक्टूबर–07 से 18 अक्टूबर–07 तक चलाया गया, जिसके सार्थक परिणाम मिले । इस अभियान में राज्य के 6.88 लाख किसानों ने भाग लिया । इस कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर 9,154 शिविर आयोजित किए गए ।

– अभियान में 40 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 4.73 लाख ग्राम स्तरीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड, 2.56 लाख मिनिकिट, 6.11 लाख रबी पुस्तकें, 20.56 लाख कृषक मित्रवत साहित्य का वितरण किया गया ।

– इसके अतिरिक्त 6482 क्विण्टल बीज एवं 3.74 लाख पैकेट बायौ उर्वरक

कृषकों को उपलब्ध करवाया गया ।

– अभियान के दौरान फव्वारा सैट्स, पाइप लाइन, कृषि यंत्र, पौध संरक्षण आदि के 68 हजार 597 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए ।

## 16.3 जिलेवार उत्पादकता वृद्धि के प्रोजेक्ट

फसल विशेष की उत्पादकता व गुणवत्ता में वृद्धि एवं लागत में कमी के लिए जिलेवार विशिष्ट प्रोजेक्ट यथा दलहन के लिए ऑपरेशन 150 प्रतिशत एवं सोयाबीन के लिए टारगेट $20^{+}$ क्रियान्वित किए गए जिनके सकारात्मक परिणाम मिले हैं।

### क– ऑपरेशन 150 प्रतिशत

वर्ष 2007–08 में 20 जिलों में दलहनी फसलों की उत्पादकता डेढ गुना करने के लिए ऑपरेशन 150 प्रतिशत चलाया गया। फसलवार परिणाम निम्न प्रकार से रहे :–

1. मूंग का प्रोजेक्ट चयनित जिलों में 2,58,510 हैक्टर क्षेत्र में लिया गया जिसमें 10,060 क्विण्टल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया जिससे बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 25 प्रतिशत प्राप्त की गई जबकि गत पांच वर्षो में राज्य की औसत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 7.42 प्रतिशत रही है ।

2. मोठ का प्रोजेक्ट चयनित जिलों में 3,59,500 हैक्टर क्षेत्र में लिया गया जिसमें प्रमाणित बीज 4,950 क्विण्टल वितरण किया गया जिसकी बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 13.76 प्रतिशत रही जबकि गत पांच वर्षो का राज्य का औसत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 1.92 प्रतिशत रही है ।

3. अरहर का प्रोजेक्ट चयनित जिलों में 11,974 हक्टेर क्षेत्र में लिया गया जिसमें 558 क्विण्टल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया एवं 31 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} प्राप्त की

गई जबकि गत पांच वर्षो में राज्य की औसत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 11 प्रतिशत रही है ।

4. ग्वार का प्रोजेक्ट चयनित जिलों में 1,29,000 हैक्टर क्षेत्र में तैयार किया गया जिसमें 2,806 क्विण्टल प्रमाणित बीज वितरण किया गया एवं 14.50 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} प्राप्त की गई जबकि गत पांच वर्षो का राज्य का औसत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 2.69 प्रतिशत रही है ।

### ख– सोयाबीन टारगेट $20^{+}$

सोयाबीन की उत्पादकता 20 क्विण्टल से अधिक करने के लिए 4 जिलों मे टारगेट $20^{+}$ अभियान चलाया गया । सोयाबीन का प्रोजेक्ट चयनित जिलों में 2,28,869 हैक्टर क्षेत्र में लिया गया जिसमें 42,415 क्विण्टल प्रमाणित बीज वितरण किया गया एवं 24.7 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} प्राप्त की गई जबकि गत 5 वर्षो में राज्य की औसत बीज प्रतिस्थापन दर {एस.आर.आर.} 5.46 प्रतिशत रही ।

## 16.4 मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता जानकारी {जी0आई0एस0 आधारित}

राज्य की 237 पंचायत समितियों मे से 205 पंचायत समितियों का भू उर्वरकता सवेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है । शेष पंचायत समितियों का सर्वेक्षण कार्य इस वर्ष किया जा रहा है । ग्रामवार उपलब्ध उर्वरता स्तर डाटा के अनुसार फसलों की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एग्रो–इकोलोजीकल सिच्युएशनस् के आधार पर तैयार कर ली गई है तथा इन पुस्तिकाओं में उर्वरता स्तर को ग्रामवार समूहों में वर्गीकृत कर रबी 2007–08 की सिफारिशें कृषकों हेतु जारी कर दी गई है ।

अब तक हुए सर्वेक्षण के आधार पर उर्वरकता स्तर का जी0आई0एस0 मानचित्र तैयार करने हेतु उर्वरता स्तर डाटा को विशिष्ट प्रारूप में कम्प्यूटरीकृत करने एवं सैन्सेस कोड से मिलान करने का कार्य प्रगति पर है। अब तक 12 जिलों की 70 पंचायत समितियों का डाटा तैयार कर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त जिलों

का जी0आई0एस0 मानचित्र दो लेयरों में तैयार कर वैबसाइट (विकास दर्पण) पर लगाने की कार्यवाही की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक राज्य का मृदा उर्वरता स्तर का जी0आई0एस0 मानचित्र पूर्ण कर वैबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा।

### 16.5 बी.टी. कपास की खेती

खरीफ–2007 में 8 कम्पनियों की बी0टी0 कपास की 19 संकर किस्मों की अनुमति दी गई है । खरीफ–2006 में प्रथम बार बी0टी0 कपास की अनुमति दी गई और वर्ष 2006 में 4,000 हैक्टर की तुलना में वर्ष–2007 में लगभग 42,804 हैक्टर में बी0टी0 कपास की खेती की गई है।

OOO

## 17. महिला सशक्तिकरण

17.1 महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2006–07 से कृषि विकास कार्यक्रमों की स्वीकृतियां महिलाओं के नाम जारी करने का परिपत्र जारी किया गया है । उपर्युक्त परिपत्र की निरन्तरता में वर्ष 2007–08 में भी कृषि विकास कार्यक्रमों की स्वीकृतियां महिलाओं के नाम से जारी करने के निर्देश जारी किए गए हैं । कृषि विभाग के विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमों यथा बीज मिनिकिट, कृषि प्रदर्शन, कृषि यंत्र, पौध–संरक्षण उपकरण आदि की स्वीकृतियां महिलाओं के नाम पर जारी की जा रही है ।

17.2 विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमों से वर्ष 2002–03 से वर्ष 2005–06 की अवधि में लगभग 7–9 प्रतिशत महिलाएं लाभान्वित हो रही थी जो वर्ष 2006–07 में बढ़कर लगभग 50 प्रतिशत रही है वर्ष 2007–08 में कुल लाभान्वित कृषकों में से लाभान्वित महिला कृषकों का

प्रतिशत 70–80 प्रतिशत होने की आशा है ।

17.3 वर्ष 2006–07 में 10+2 कृषि एवं कृषि स्नातक में अध्ययनरत छात्राओं को देय प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर क्रमशः एवं 3000 रूपये एवं 5000 रूपये प्रतिवर्ष प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि दी जा रही है । वर्ष 2006–07 में 2,283 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि रूपये 74.92 लाख का वितरण किया गया है । इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2007–08 में 65.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । वर्ष 2007–08 में कृषि विषय में स्नातकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को रूपये 5 हजार प्रति वर्ष तथा पी.एच.डी. करने वाली छात्राओं को 10 हजार रूपये प्रति वर्ष प्रति छात्रा की दर से प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के आदेश प्रसारित किए गए हैं ।

17.4 विभिन्न योजनान्तर्गत एक एवं दो दिवसीय महिलाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2007–08 में 38.75 रूपये का प्रावधान रखा गया है । इन प्रशिक्षणों हेतु क्रमशः 100 एवं 150 रूपये प्रतिदिन प्रति महिला व्यय किए जाने का प्रावधान है।

OOO

# 18. प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण

प्रबोधन एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ द्वारा कृषि विस्तार कार्यक्रम के क्रियान्वयन का प्रबोधन एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण प्रत्येक फसल मौसम में किया जाता है, जिससे कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू संचालन हेतु

सहयोग प्राप्त होता है । प्रबोधन सर्वेक्षण के अन्तर्गत प्रसार कार्यक्रम की गतिविधियों का आंकलन किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ मूल्यांकन सर्वेक्षण के अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोग सम्पादित करवाकर फसलों के उपज पर तकनीकी हस्तान्तरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन किया जाता है । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन सम्बन्धी विशेष अध्ययन भी करवाए जाते हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

## 18.1 वर्ष 2007–08 में निम्न विशेष अध्ययन करवाए जा रहे हैं :

- रबी 2007–08 में मिनिकिट से **स्वंय के खेत पर** बीज उत्पादन कार्यक्रम का मूल्यांकन सर्वेक्षण ।
- खरीफ–2007 में मिनिकिट से **स्वंय के खेत पर** बीज उत्पादन कार्यक्रम का मूल्यांकन सर्वेक्षण ।
- खरीफ–2007 में दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए मूंग में फुल पैकेज प्रदर्शन का मूल्यांकन सर्वेक्षण ।
- कृषि दर्शन, नवांकुर, खेती री बातां कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु सर्वेक्षण ।
- विभागीय साहित्य {कृषि, उद्यान एवं पशुपालन मार्गदर्शिका} रबी 2007–08 पर विशेष अध्ययन ।
- अन्तर्राज्यीय कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम वर्ष 2005–06 का विशेष अध्ययन ।

OOO

# 19. कम्प्यूटर कार्यक्रम

सूचनाओं के प्रभावी विश्लेषण एवं संकलन में कम्प्यूटर की महती भूमिका है । इसी के मद्देनज़र विभाग के जिला, उपजिला कार्यालयों, प्रयोगशालाओं एवं ग्राह्य परीक्षण

केन्द्रों में कम्प्यूटर उपलब्ध हैं । कृषि निदेशालय में इन्टरनेट की सुविधा नेशनल इन्फोरमेटिक सेन्टर के माध्यम से हर समय उपलब्ध रहती है । विभाग की विभिन्न गतिविधियों एवं नागरिक सुविधाओं का कम्प्युटरीकरण का कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है । साथ ही विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम्प्युटर्स की आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण सुलभ कराया जा रहा है ।

## 19.1 वर्ष 2007–08 की महत्वपूर्ण उपलब्धियां :

क– पन्त कृषि भवन में कृषि विभाग से सम्बद्ध राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राजस्थान राज्य भण्डारण निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम एवं उद्यान विभाग की सूचनाओं के लिए एक कॉमन वेब सर्वर सैट–अप तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से वेब बेस्ड एप्लीकेशन द्वारा कृषकों एवं संबंधित को सूचनाएं {हिन्दी में} उपलब्ध कराई जाती हैं । इसके अलावा ज़िला एवं उपज़िला स्तर के कार्यालयों को इन्टरनेट से जोड़कर आवश्यक सूचनाओं एवं डाटा का आदान–प्रदान किया जा रहा है ।

ख– कृषि विभाग की वेबसाईट www.rajasthankrishi.gov.in पर कृषि एवं इसके सम्बद्ध डिपार्टमेन्ट/एजेन्सीज की महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं आंकड़ों का विशाल संग्रह अपडेट किया गया है जिसे आवश्यकतानुसार देखा एवं डाउनलोड किया जा सकता है । इस वेबसाईट पर कृषि से संबंधित अन्य लिंक भी उपलब्ध हैं ।

ग– कम्प्यूटर पर नए एप्लीकेशन सोफ्टवेयर स्थापित कर उनकी सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है :–

1– विभागीय लाईब्रेरी
2– पर्सनल इन्फोरमेशन सिस्टम
3– वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रणाली

4– योजना अनुभाग के बजट का प्रोग्राम
5– भौतिक एवं वित्तीय प्रगति हेतु एम.पी.आर. प्रोग्राम
6– मृदा स्वास्थ्य कार्ड हेतु प्रोग्राम
7– विभाग द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु एम.पी.आर.प्रोग्राम तैयार कराया गया ।

घ– नवसृजित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं पर कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं एवं मृदा/पानी के नमूनों की सूचनाओं को कम्प्यूटर द्वारा संग्रहण/विश्लेषण का प्रोग्राम तैयार किया गया है ।

ड़– विभाग को स्टेट डाटा सेन्टर से जोड़ा गया है, जिसकी मदद से राज्य सरकार के अन्य कम्प्यूटर प्रोग्राम, सी.एम.आई.एस., विधि विभाग का कोर्ट केस प्रोग्राम आदि संचालित किए जा रहे हैं ।

च– राज्य के मृदा उर्वरता स्तर का जी.आई.एस. मानचित्र तैयार कराया जा रहा है । सिरोही जिले का जी.आई.एस. मानचित्र जारी कर दिया गया है एवं शेष जिलों के मानचित्रों का कार्य प्रगति पर है ।

OOO

सारणी संख्या : 1

जिलेवार/खण्डवार भौगोलिक क्षेत्रफल, कृषि योग्य भूमि, वास्तविक कृषिमय क्षेत्र एवं सकल कृषिमय क्षेत्र

क्षेत्रफल : '000 हैक्टर में

| क्र. सं. | खण्ड / जिला | भौगोलिक क्षेत्रफल 2005–06 | कृषि योग्य भूमि 2005–06 | शुध्द कृषिमय क्षेत्र 2005–06 | कुल कृषिमय क्षेत्र | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | सकल 2005–06 | सकल 2006–07 | 2007–08' {अनुमानित} | | |
| | | | | | | | खरीफ | रबी | योग |
| 1– | अजमेर | 842 | 499 | 431 | 520 | 465 | 370 | 62 | 432 |
| 2– | जयपुर | 1106 | 781 | 622 | 990 | 890 | 520 | 365 | 885 |
| 3– | दौसा | 341 | 245 | 224 | 349 | 335 | 156 | 152 | 308 |
| 4– | सीकर | 774 | 611 | 531 | 764 | 753 | 484 | 254 | 738 |
| 5– | झुण्झुनू | 592 | 468 | 429 | 686 | 669 | 406 | 226 | 632 |
| | **अजमेर खण्ड :** | **3655** | **2604** | **2237** | **3309** | **3112** | **1936** | **1059** | **2995** |
| 1– | अलवर | 783 | 543 | 508 | 814 | 808 | 320 | 443 | 763 |
| 2– | भरतपुर | 507 | 411 | 397 | 572 | 599 | 209 | 343 | 552 |
| 3– | धौलपुर | 301 | 170 | 150 | 209 | 208 | 82 | 96 | 178 |
| 4– | सवाईमाधोपुर | 498 | 313 | 287 | 357 | 334 | 120 | 175 | 295 |
| 5– | करौली | 505 | 216 | 197 | 300 | 306 | 149 | 125 | 274 |
| | **भरतपुर खण्ड :** | **2594** | **1653** | **1539** | **2252** | **2255** | **880** | **1182** | **2062** |
| 1– | बीकानेर | 3038 | 1835 | 1205 | 1332 | 1307 | 415 | 382 | 797 |
| 2– | चूरू | 1386 | 1267 | 1168 | 1423 | 1422 | 1131 | 300 | 1431 |
| 3– | श्रीगंगानगर | 1093 | 920 | 646 | 885 | 930 | 309 | 575 | 884 |
| 4– | हनुमानगढ़ | 970 | 886 | 765 | 1064 | 1131 | 573 | 577 | 1150 |
| | **श्रीगंगानगर खण्ड :** | **6487** | **4908** | **3784** | **4704** | **4790** | **2428** | **1834** | **4262** |
| 1– | जोधपुर | 2256 | 1863 | 1269 | 1378 | 1247 | 1040 | 168 | 1208 |
| 2– | जैसलमेर | 3839 | 714 | 516 | 578 | 622 | 274 | 200 | 474 |
| 3– | जालोर | 1057 | 834 | 656 | 787 | 834 | 598 | 258 | 856 |
| 4– | बाड़मेर | 2817 | 2174 | 1611 | 1694 | 1781 | 1309 | 146 | 1455 |
| 5– | नागौर | 1764 | 1514 | 1254 | 1483 | 1414 | 1050 | 278 | 1328 |
| 6– | पाली | 1233 | 812 | 607 | 657 | 677 | 556 | 193 | 749 |
| 7– | सिरोही | 518 | 219 | 154 | 211 | 208 | 121 | 80 | 201 |
| | **जोधपुर खण्ड :** | **13484** | **8130** | **6067** | **6788** | **6783** | **4948** | **1323** | **6271** |
| 1– | कोटा | 521 | 295 | 275 | 416 | 377 | 197 | 255 | 452 |
| 2– | बारां | 700 | 363 | 334 | 501 | 468 | 216 | 259 | 475 |
| 3– | बून्दी | 582 | 296 | 260 | 391 | 366 | 173 | 230 | 403 |
| 4– | झालावाड़ | 632 | 346 | 317 | 465 | 524 | 291 | 158 | 449 |
| 5– | टोंक | 718 | 529 | 475 | 612 | 485 | 263 | 244 | 507 |
| | **कोटा खण्ड :** | **3153** | **1829** | **1661** | **2385** | **2220** | **1140** | **1146** | **2286** |
| 1– | बांसवाड़ा | 506 | 280 | 235 | 339 | 357 | 237 | 118 | 355 |
| 2– | डूंगरपुर | 386 | 169 | 122 | 175 | 199 | 124 | 66 | 190 |
| 3– | उदयपुर | 1462 | 334 | 254 | 370 | 401 | 254 | 125 | 379 |
| | **उदयपुर खण्ड :** | **2354** | **783** | **611** | **884** | **957** | **615** | **309** | **924** |
| 1– | भीलवाड़ा | 1048 | 504 | 406 | 574 | 624 | 352 | 135 | 487 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2– | चित्तौड़गढ़ | 1036 | 471 | 432 | 676 | 725 | 407 | 225 | 632 |
| 3– | राजसमन्द | 455 | 128 | 99 | 127 | 145 | 94 | 53 | 147 |
| | **भीलवाड़ा खण्ड :** | **2539** | **1103** | **937** | **1377** | **1494** | **853** | **413** | **1266** |
| | राज्यस्तर : | **34266** | **21010** | **16836** | **21699** | **21611** | **12800** | **7266** | **20066** |

{'} अनुमानित दिसम्बर–2007 तक

सारणी संख्या : 2

खण्ड/जिलेवार सकल सिंचित क्षेत्र

क्षेत्रफल : हैक्टर में

| | | 2005.2006 | | | 2006.2007 {अनुमानित} | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खण्ड/जिला | खरीफ | रबी | योग | खरीफ | रबी | योग |
| 1– | अजमेर | 15759 | 63851 | 79610 | 7333 | 61434 | 68767 |
| 2– | जयपुर | 73478 | 365906 | 439384 | 89837 | 314161 | 403998 |
| 3– | दौसा | 6073 | 171614 | 177687 | 7897 | 160761 | 168658 |
| 4– | सीकर | 68671 | 266804 | 335475 | 69853 | 239718 | 309571 |
| 5– | झुण्झुनू | 23486 | 258706 | 282192 | 38724 | 231739 | 270463 |
| | **अजमेर** | **187467** | **1126881** | **1314348** | **213644** | **1007813** | **1221457** |
| 1– | अलवर | 61034 | 475058 | 536092 | 34591 | 456993 | 491584 |
| 2– | भरतपुर | 5918 | 309528 | 315446 | 1541 | 327438 | 328979 |
| 3– | धौलपुर | 852 | 107220 | 108072 | 131 | 104326 | 104457 |
| 4– | सवाईमाधोपुर | 2829 | 203579 | 206408 | 492 | 163445 | 163937 |
| 5– | करौली | 1235 | 121750 | 122985 | 250 | 114705 | 114955 |
| | **भरतपुर** | **71868** | **1217135** | **1289003** | **37005** | **1166907** | **1203912** |
| 1– | बीकानेर | 76368 | 257931 | 334299 | 109637 | 227087 | 336724 |
| 2– | चूरू | 13084 | 69192 | 82276 | 19831 | 64361 | 84192 |
| 3– | श्रीगंगानगर | 180692 | 611776 | 792468 | 243076 | 548370 | 791446 |
| 4– | हनुमानगढ़ | 199558 | 392853 | 592411 | 273170 | 361252 | 634422 |
| | **श्रीगंगानगर** | **469702** | **1331752** | **1801454** | **645714** | **1201070** | **1846784** |
| 1– | जोधपुर | 70524 | 190892 | 261416 | 93733 | 184431 | 278164 |
| 2– | जैसलमेर | 19094 | 181352 | 200446 | 26187 | 145175 | 171362 |
| 3– | जालोर | 44243 | 206007 | 250250 | 52147 | 237684 | 289831 |
| 4– | बाड़मेर | 24402 | 145371 | 169773 | 31458 | 139106 | 170564 |
| 5– | नागौर | 78697 | 305199 | 383896 | 89371 | 269188 | 358559 |
| 6– | पाली | 11611 | 77143 | 88754 | 4682 | 153055 | 157737 |
| 7– | सिरोही | 16654 | 76543 | 93197 | 22065 | 96142 | 118207 |
| | **जोधपुर** | **265225** | **1182507** | **1447732** | **319643** | **1224781** | **1544424** |
| 1– | कोटा | 14480 | 244526 | 259006 | 10775 | 242202 | 252977 |
| 2– | बारां | 18828 | 307650 | 326478 | 6705 | 308527 | 315232 |
| 3– | बून्दी | 31586 | 232750 | 264336 | 40025 | 208594 | 248619 |
| 4– | झालावाड़ | 5014 | 174158 | 179172 | 774 | 228787 | 229561 |
| 5– | टोंक | 3177 | 236064 | 239241 | 1336 | 203894 | 205230 |
| | **कोटा** | **73085** | **1195148** | **1268233** | **59615** | **1192004** | **1251619** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | बांसवाड़ा | 1056 | 97370 | 98426 | 182 | 102442 | 102624 |
| 2– | डूंगरपुर | 410 | 36603 | 37013 | 111 | 41565 | 41676 |
| 3– | उदयपुर | 500 | 105164 | 105664 | 337 | 125507 | 125844 |
| | **उदयपुर** | **1966** | **239137** | **241103** | **630** | **269514** | **270144** |
| 1– | भीलवाड़ा | 18513 | 146918 | 165431 | 6615 | 210581 | 217196 |
| 2– | चित्तौड़गढ़ | 9298 | 250463 | 259761 | 2381 | 285827 | 288208 |
| 3– | राजसमन्द | 1066 | 29905 | 30971 | 1324 | 50289 | 51613 |
| | **भीलवाड़ा** | **28877** | **427286** | **456163** | **10320** | **546697** | **557017** |
| | राज्यस्तर : | **1098190** | **6719846** | **7818036** | **1286571** | **6608786** | **7895357** |

सारणी संख्या : 3

फसलवार क्षेत्रफल एवं उत्पादन : राजस्थान

क्षेत्रफल : '000 हैक्टर में उत्पादन : '000 टन / गॉठें

| | | | 2006.07 वास्तविक | 2007.08 लक्ष्य | 2007.08 सम्भावित उपलब्धि | 2008. 2009 लक्ष्य | 2006. 2007 वास्तविक | 2007.08 लक्ष्य | 2007.08 सम्भावित उपलब्धि | 2008.09 लक्ष्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अनाज | खरीफ | चावल | 108 | 85 | 109 | 90 | 170 | 165 | 187 | 155 |
| | | ज्वार | 662 | 550 | 552 | 550 | 368 | 350 | 325 | 330 |
| | | बाजरा | 4879 | 4500 | 4172 | 4500 | 3421 | 3600 | 2991 | 3260 |
| | | मक्का | 1028 | 1100 | 1004 | 1100 | 1116 | 1650 | 1556 | 1700 |
| | | छोटे धान | 16 | 20 | 16 | 20 | 4 | 8 | 7 | 8 |
| | | **योग :** | **6693** | **6255** | **5853** | **6260** | **5079** | **5773** | **5066** | **5453** |
| | रबी | गेहूं | 2565 | 2200 | 2285 | 2600 | 7756 | 6600 | 7222 | 8840 |
| | | जौं | 232 | 300 | 325 | 400 | 592 | 900 | 943 | 1200 |
| | | **योग :** | **2797** | **2500** | **2610** | **3000** | **8348** | **7500** | **8165** | **10040** |
| | | **कुल अनाज** | **9490** | **8755** | **8463** | **9260** | **13427** | **13273** | **13231** | **15493** |
| दालें | खरीफ | खरीफ दालें | 2129 | 2700 | 2391 | 2700 | 540 | 1500 | 1021 | 1350 |
| | | अरहर | 19 | 25 | 27 | 25 | 9 | 17 | 24 | 23 |
| | | **योग :** | **2148** | **2725** | **2418** | **2725** | **549** | **1517** | **1045** | **1373** |
| | रबी | चना | 1011 | 1100 | 1314 | 1100 | 873 | 884 | 1211 | 990 |
| | | रबी दालें | 49 | 30 | 24 | 50 | 60 | 42 | 23 | 70 |
| | | **योग :** | **1060** | **1130** | **1338** | **1150** | **933** | **926** | **1234** | **1060** |
| | | **कुल दलहन** | **3208** | **3855** | **3756** | **3875** | **1482** | **2443** | **2279** | **2433** |
| खाधान्न | खरीफ | | **8841** | **8980** | **8271** | **8985** | **5628** | **7290** | **6111** | **6826** |
| | रबी | | **3857** | **3630** | **3947** | **4150** | **9281** | **8426** | **9398** | **11100** |
| | | **कुल खाधान्न** | **12698** | **12610** | **12218** | **13135** | **14909** | **15716** | **15509** | **17926** |
| तिलहन | खरीफ | तिल | 273 | 350 | 339 | 350 | 89 | 112 | 171 | 125 |
| | | मूंगफली | 302 | 325 | 325 | 325 | 396 | 536 | 521 | 535 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सोयाबीन | 641 | 700 | 764 | 770 | 771 | 1120 | 1205 | 1230 |
| | | अरण्डी | 79 | 150 | 128 | 150 | 104 | 180 | 218 | 225 |
| | | **योग :** | **1295** | **1525** | **1556** | **1595** | **1360** | **1948** | **2115** | **2115** |
| | रबी | राई–सरसों | 3100 | 2300 | 2403 | 2800 | 3767 | 3171 | 3439 | 3920 |
| | | तारामीरा | 112 | 100 | 75 | 240 | 39 | 48 | 38 | 120 |
| | | अलसी | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | **योग :** | **3213** | **2402** | **2480** | **3042** | **3807** | **3221** | **3478** | **4042** |
| | | **कुल तिलहन** | **4508** | **3927** | **4036** | **4637** | **5167** | **4746** | **5593** | **6157** |
| अन्य | खरीफ | गन्ना | 11 | 5 | 9 | 5 | 630 | 295 | 457 | 275 |
| | | कपास | 350 | 400 | 368 | 400 | 747 | 950 | 993 | 1060 |
| | | ग्वार बीज | 2808 | 2300 | 2140 | 2300 | 658 | 1150 | 927 | 1150 |
| | | अन्य खरीफ | 438 | 690 | 456 | 675 | | | | |
| | रबी | अन्य रबी | 797 | 668 | 838 | 848 | | | | |
| | **कुल कृषिमय क्षेत्र** | खरीफ | **13743** | **13900** | **12800** | **13960** | | | | |
| | | रबी | **7867** | **6700** | **7265** | **8040** | | | | |

सारणी संख्या : 4

# कृषि निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न श्रेणी के स्वीकृत पद

| पदों की श्रेणी | | | *पदनाम* | स्वीकृत पद |
|---|---|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | | 1. | निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, कृषि | 1 |
| | | 2. | निदेशक, राज्य स्तरीय कृषि प्रबंध संस्थान | 1 |
| | | 3. | अतिरिक्त निदेशक | 3 |
| | | 4. | **संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं समकक्ष पद** | 98 |
| द्वितीय श्रेणी | | 1. | सहायक निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी एवं समकक्ष पद | 103 |
| | | 2. | विषय विशेषज्ञ एवं समकक्ष पद {ग्रुप–स} | 367 |
| अधीनस्थ श्रेणी | अ– | 1. | सहायक कृषि अधिकारी | 739 |
| | | 2. | सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी | 119 |
| | | 3. | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 20 |
| | | 4. | कनिष्ठ अभियन्ता/वरिष्ठ प्रारूपकार | 4 |
| | | 5. | लेखाकार | 5 |
| | | 6. | कृषि अन्वेषक | 60 |
| | | 7. | कनिष्ठ लेखाकार | 117 |
| तकनीकी पद | ब– | 1. | कृषि पर्यवेक्षक/ग्राम विस्तार कार्यकर्ता | 4367 |
| | | 2. | अन्य पद | 211 |
| मंत्रालयिक संवर्ग | | 1. | मंत्रालयिक कर्मचारी | 610 |
| च.श्रे.क. | | 1. | च.श्रे.क. | 422 |
| | | | योग : | **7248** |